नगर परिषद नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2011 से 31.03.2013

भाग–एक

1 **(क) प्रारम्भिकः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0) –खण्ड–पार्ट दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद नाहन, जिला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान नियन्त्रक अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में निम्न प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत्त रहेः–

अवधि	अध्यक्ष का नाम	कार्यकारी अधिकारी का नाम
1.4.11 से 31.3.13	श्रीमती भारती अग्रवाल	श्री सूरत सिंह नेगी

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि ₹ लाखों में
1	वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय से वंचित होना	5 (3)	8.65
2	अनुदानों की राशि का उपयोग न करना	6 (1)	103.39
3	नगर परिषद द्वारा स्थापना पर निर्धारित मानदंडों से अधिक व्यय	8 (1)	404.21
4	अनुबन्धित वाहन चालकों के वेतन पर अनियमित व्यय	8 (6)	3.96

5	वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान	8 (3)	0.76
6	अनुबन्ध कर्मचारियों को अधिक भुगतान	8 (4)	0.56
7	भण्डार में अनुपयोगी/बेकार पड़ी वस्तुओं का निपटारा न करना	9	8.70
8	निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर ठेकेदारों से दंड शुल्क (penalty) की वसूली न करना	20 (2)	1.73
9	पैन्शन की बकाया राशि का अनियमित भुगतान	22	12.95
10	पैन्शन एवम उपदान निधि में नियमानुसार देय राशि से अधिक अभिदान जमा करना	23 (क)	1.90
11	नगर पालिका निधि से पैन्शन एवम उपदान निधि में राशि का अनियमित हस्तांतरण/अधिक भुगतान	23 (4)	53.59
12	सामान्य भविष्य निधि में सेवा निवृत कर्मचारियों को अधिक भुगतान	23 (6)	0.41
13	गृहकर की वसूली योग्य राशि शेष	24 (1)	181.35
14	सैनिटेशन शुल्क की शेष वसूली न करना	25 (क)	43.35
15	स्टालों/दुकानों/गेराजों के किराये की राशि वसूली योग्य शेष	26 (क)	36.96
16	मोबाईल टावरस शुल्क की वसूली न करना	27	0.90
17	ट्रेड लाईसैन्स शुल्क की वसूली न करना	28 (क)	0.45

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई सुनिश्चित करें व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान लेखा परीक्षाः–

नगर परिषद नाहन के अवधि 01.04.2011 से 31.03.2013 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाए गए है, दिनांक 10.12.2013

से 26.02.2014 तक श्री हेम राज भारद्वाज, सहायक नियन्त्रक, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी तथा श्री ललित अग्रवाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा नगर परिषद नाहन स्थित कार्यालय में किया गया। इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण की विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह 03/2012 तथा 03/2013 एवं व्यय के लिए 10/2011 तथा 01/2013 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत होने, अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध ही न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

अवधि 04/2011 से 03/2013 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹60000/– आंका गया जिसे रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नाहन से सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 26 दिनांक 19.02.14 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण एवं निरीक्षण शुल्क ₹60000/– पूर्व अंकेक्षण अवधि 4/2007 से 3/2011 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण शुल्क ₹127800/– सहित, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला नाहन के डिमांड ड्राफ्ट संख्या 779519 दिनांक 21.02.14=₹187800/– के माध्यम से पंजीकृत पत्र संख्याः MCN/Acctts/Audit fees/2014-499 दिनांक 21.02.14 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेज दिया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) नगर परिषद की अवधि 01.04.2011 से 31.03.2013 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट "ख" पर संलग्न**) के आधार पर निम्नानुसार थीः–

वर्ष	आय का स्त्रोत	प्रारम्भिक शेष (₹ में)	आय (₹ में)	ब्याज (₹ में)	कुल (₹ में)	व्यय (₹ में)	अन्तिम शेष (₹ में)
2011–12	स्वस्त्रोत	77728.37	14236143.00	2029196.12	16343067.49	4958650.12	11384417.37
	अनुदान	30730341.23	41299339.65		72029680.88	44417118.88	27612562.00
	कुल	**30808069.60**	**55535482.65**	**2029196.12**	**88372748.37**	**49375769.00**	**38996979.37**
2012–13	स्वस्त्रोत	11384417.37	13334626.00	3305374.09	28024417.46	17232911.00	10791506.46
	अनुदान	27612562.00	45387189.00		72999751.00	43293790.00	29705961.00
	कुल	**38996979.37**	**58721815.00**	**3305374.09**	**101024168.46**	**60526701.00**	**40497467.46**
	दिनांक 31.03.2013 को स्वस्त्रोतों की आय का अन्तिम शेष						₹10791506.46
	दिनांक 31.03.2013 को अनुदान राशि का अन्तिम शेष						₹29705961.00
	दिनांक 31.03.2013 को लेखा बहियों/वित्तीय स्थिति के अनुसार कुल अन्तिम शेष						₹40497467.46

(ख) बैंक में जमा का विवरणः–

बचत खातों एवं सावधि जमा खातों में उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट "ग"** पर संलग्न) के अनुसार दिनांक 31.03.2013 को जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार से थाः–

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि (₹ में)
1	नगद बकाया शेष	–	43371
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	70129	2901495.65
3	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	19563	7190113.49
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	19530	2229770.23
5	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	24190	4300836.00
6	एच0डी0एफ0सी0 बैंक	000084	4073354.21
7	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	11128708053	10338.20
8	यूको बैंक	04440100012216	42907.00
9	पंजाब नैशनल बैंक	0356000100133792	13757.68
10	हि0प्र0को0ओ0 बैंक (SWM)	5590108818	292401.00
11	हि0प्र0को0ओ0 बैंक(SJSRY)	5590109247	315067.00

12	यू0बी0आई0 (SJSRY)	604602010003166	1735969.00
13	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SJSRY)	11128708042	118331.00
14	हि0प्र0को0ओ0 बैंक (FDR)	55930310037	1279397.00
15	सी0बी0आई0 (FDR)	1903627337	1415650.00
16	यू0बी0आई0 (FDR)	3030000615	1168472.00
17	हि0प्र0को0ओ0 बैंक (FDR)	57230300451	6591056.00
18	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (FDR)	65132802784	1768533.00
19	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (FDR)	65132802751	2638164.00
20	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (FDR)	65155862850	2291686.00
		कुल योग	**40420669.46**

(ग) बैंक समाधान विवरणः–

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट "घ"** पर संलग्न) के आधार पर बैंक समाधान विवरण निम्नानुसार थाः–

नगर परिषद की लेखा बहियों/वित्तीय स्थिति के अनुसार 31.03.2013 को अन्तिम शेष	**₹40497467.46**
जमाः–	
1 वाउचर संख्या 50 माह 02/13 के द्वारा पी0एफ0 कमिशनर को भुगतान किया गया परन्तु मांग पत्र रदद होने के उपरान्त राशि को दोबारा रोकड बही में नहीं लिया गया।	₹294436.00
2 वाउचर संख्या 51 माह 02/13 के द्वारा पी0एफ0 कमिशनर को भुगतान किया गया परन्तु मांग पत्र रदद होने के उपरान्त राशि को दोबारा रोकड़ बही में नहीं लिया गया	₹68431.00
3 जारी किये गए चैक जिनकों 31.03.13 तक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया (खाता संख्या 70129)	₹117626.00

चैक संख्या	**दिनांक**	**राशि (₹ में)**	**बैंक द्वारा भुगतान करने की तिथि**
235442	30.03.2013	16200	06.04.2013
235443	30.03.2013	3601	06.04.2013

235444	30.03.2013	97825	02.04.2013	
			कुल योग	**₹40977960.46**

माईनसः–

1 बैंक प्रभार जिसे रोकड़ बही में लेखाबद्ध नहीं किया गया ₹326

दिनांक	**राशि (₹ में)**	**खाता सं0**
18.04.12	50	70129
14.06.12	120	19530
21.08.12	50	70129
14.11.12	50	70129
18.03.13	56	70129

2 वह राशि जिसे बैंक द्वारा खाते से सीधे रूप से आहरित किया गया एवं इस राशि को रोकड़ वही में लेखाबद्ध नहीं किया गया ₹383538.00

दिनांक	**राशि (₹ में)**	**खाता संख्या**
12.06.12	625	70129
31.10.12	287000	70129
31.10.12	10738	70129
15.11.12	17000	70129
15.12.12	17000	70129
15.01.13	17000	70129
15.02.13	17000	70129
15.03.13	175	70129
15.03.13	17000	70129

3 आय जिसका क्रेडिट बैंक द्वारा 31.03.2013 के पश्चात दिया गया ₹108647.00

चैक सं0	**दिनांक**	**राशि (₹ में)**	**बैंक द्वारा क्रेडिट देने की तिथि**
430084	30.03.2013	108647	02.04.2013

4 ₹5970/– का चैक (संख्या 49143) दिनांक 15.12.12 को रोकड़ बही में रदद दर्शाया गया परन्तु बैंक द्वारा उक्त चैक का भुगतान कर दिया गया ₹5970

5 वाउचर संख्या 96 माह 11/12 के द्वारा ₹81849 का भुगतान पारित किया गया परन्तु चैक (संख्या 049102) दिनांक 12.11.2012 द्वारा बैंक में ₹94500 आहरित कर लिए गए।	₹12651
6 दिनांक 28.03.13 को प्राप्त आय ₹46912/– में से ₹45788/– ही जमा किये गए।	₹1124

7 आय के चैक जो बाउंस होने पर बैंक द्वारा लौटा दिए गए

चैक सं0	दिनांक	राशि (₹ में)
184133	11.07.2011	10969
309021	25.01.2013	3652

8 बैंक खातों में कम राशि/भिन्नता	₹30414
कुल योग	**₹40420669.46**
दिनांक 31.03.2013 को बैंक खातों के अनुसार अन्तिम शेष	₹40420669.46

बैंक समाधान विवरण की पड़ताल में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गईः–

1) बैंक समाधान विवरणानुसार परिषद निधि से वाउचर संख्या 50 माह 02/13 ₹294436/– एवं वाउचर संख्या 51 माह 02/13 ₹68431/– द्वारा पी0एफ0 कमिशनर को कुल ₹362867/– का भुगतान किया गया परन्तु उक्त मांग पत्र दिनांक 22.02.2013 को रदद होने के उपरान्त नगर परिषद द्वारा सम्बन्धित बैंक से इनके भुगतान से सम्बन्धित आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त न करके रोकड़/लेखा बही में इन्हें पुनः लेखाकिंत नहीं किया गया। अतः ₹362867/– के रदद चैकों/मांग पत्र के समाधान हेतु आवश्यक उचित कार्रवाई नियमानुसार न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इन चैकों का लेखाकरण रोकड़/लेखा बही में किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

2) ₹326/–का बैंक प्रभार के रूप में अनियमित भुगतानः–

₹326/– का बैंक प्रभार के रूप में भुगतान किया गया परन्तु इस राशि के भुगतान हेतु नियमानुसार कोई भी वाउचर पारित/प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही इस राशि को रोकड़ वही में लेखाबद्ध किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं की गई कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

3) बैंक द्वारा अनियमित रूप से परिषद निधि से सीधे राशि आहरित करने के कारण ₹383538/— की हानिः—

बैंक द्वारा विभिन्न तिथियों को उपरोक्त विवरणानुसार ₹383538/— का आहरण अपने स्तर पर ही सीधे परिषद के बैंक खातों से कर लिया गया जिसके पक्ष में परिषद द्वारा कोई भी भुगतान वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही इस राशि को रोकड़ वही में लेखाबद्ध किया गया जिसके अभाव में उक्त आहरित की गई राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार बिना किसी नियमानुसार पारित वाउचर के व रोकड़ बही में बिना लेखाबद्ध किये इतनी राशि का आहरण किया जाना एक बहुत ही गम्भीर अनियमितता है एवं इस राशि के दुरूपयोग/दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

4) चैक निरस्त होने के कारण परिषद को ₹14621/— की वित्तीय हानिः—

बैंक समाधान विवरण के अनुसार विभिन्न पक्षों द्वारा जारी किये गये आय से सम्बन्धित चैकों के निरस्त हो जाने के कारण परिषद को ₹14621/— की वित्तीय हानि हुई जो की एक गम्भीर अनियमितता है। इस राशि की वसूली हेतु परिषद द्वारा उठाए गए पगों बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा यदि आवश्यक हो तो उक्त राशि की वसूली हेतु आवश्यक कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाये। मामला आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

5) रदद किये गए चैक का बैंक द्वारा ₹5970/— के भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट न करनाः—

रोकड़ वही के अनुसार चैक संख्या 49143 दिनांक 15.12.2012 को रदद कर दिया गया था परन्तु बैंक समाधान विवरण के अनुसार उक्त चैक का बैंक द्वारा ₹5970/— की राशि का भुगतान कर दिया गया जो की अनियमित ही नहीं अपितु संदेहास्पद भी है जिस बारे पूर्ण छानबीन करके स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6) बैंक से अनियमित रूप से ₹12651/– अधिक आहरित किया जानाः–

परिषद द्वारा वाउचर संख्या 96 माह 11/2012 द्वारा ₹81849/– का भुगतान पारित किया गया परन्तु बैंक से इस भुगतान के लिए ₹94500/– का आहरण कर लिया गया जो कि ₹12651/– अधिक है। अधिक आहरण किये जाने बारे पूर्ण छानबीन करके स्थिति स्पष्ट की जाए या इसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7) बैंक में ₹1124/– कम जमा करानाः–

नगर परिषद द्वारा दिनांक 28.03.2013 को ₹46912/– की आय प्राप्त की गई परन्तु बैंक में केवल ₹45788/– ही जमा करवाए गए जोकि ₹1124/–कम थे। बैंक में आय कम जमा करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं कम जमा की गई राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से कर परिषद निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए।

8) बैंक खातों में ₹30414/– की कम राशि बारे स्थिति स्पष्ट न करनाः–

बैंक समाधान विवरण के अनुसार बैंक खातों में रोकड़ वही की तुलना में ₹30414/– की राशि कम पाई गई जो कि एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे माहवार बैंक समाधान विवरण तैयार करके वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए या अन्यथा कम पाई गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी अपेक्षित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

9) प्रत्येक माह के अन्त में नियमित रूप से बैंक समाधान विवरण तैयार न करनाः–

परिषद द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक माह के अन्त में बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया जा रहा था जिसके अभाव में बैंक में आय की सही जमा तथा व्यय के सही भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः अंकेक्षण द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि नियमित रूप से प्रत्येक माह के अन्त में बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10) बैंक खातों के रख–रखाव के बारे में:–

(क) नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.03.2013 तक विभिन्न बैंकों में कुल 15 खाते खुलवा रखे थे, जिनमें इस तथ्य का स्पष्ट अभाव था कि विभिन्न शीर्षकों (स्व स्त्रोत, अनुदान, पैनशन / ग्रेच्युटी, जी0पी0एफ0 एवं सी0पी0एफ0) से प्राप्त आय कौन से खातों में जमा की गई थी तथा विभिन्न शीर्षकों का व्यय कौन से खाते से किया गया था। जिससे उपरोक्त विभिन्न शीर्षकों की अलग–अलग वित्तीय स्थिति का सही लेखन नहीं हो पाता। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि वर्तमान में अनावश्यक खातों को बन्द / इकटठा करके उक्त शीर्षकों हेतु अलग–2 कुल पाँच खुलवाये जाएं तथा रोकड़ / लेखा वही से उक्त शीर्षकों की राशि की सही गणना उपरान्त सही खातों में जमा की जाए तथा भविष्य से सम्बन्धित शीर्षकों की आय –व्यय का लेन–देन सम्बन्धित खाते से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि अलग–2 शीर्षकों की वित्तीय स्थिति का सही चित्रण किया जा सके।

(ख) निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्याः UD-H(B)(15)-2/91-III दिनांक 02 / 2013 के द्वारा सभी नगर परिषदों को उनकी राशि राज्य सरकार के सहकारी बैंक में रखने के लिए निर्देश जारी किये गए थे परन्तु नगर परिषद नाहन द्वारा उपरोक्त दिशा निर्देशों पर पूरी तरह से अमल नहीं किया जा रहा था जैसा कि पैरा संख्या 4 (ख) से स्पष्ट होता है एवं परिषद द्वारा अधिकतम राशि को सहकारी बैंकों में न रखकर राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखा जा रहा था। उपरोक्त दिशा निर्देशों को पूर्ण रूप से लागू न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में सरकारी निर्देशों की अक्षरक्ष अनुपालना करते हुए परिषद निधि को सहकारी बैंकों में रखना सुनिश्चित किया जाए।

5 सावधि निवेशः–

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.03.2013 को ₹17152958 / – की राशि सावधि जमा में निवेशित थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ङ" (1)** पर संलग्न है। सावधि निवेशों के लेखों की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई:–

(1) सावधि निवेश पर ब्याज के रूप में प्राप्त/अर्जित ₹3092407/– को रोकड़ वही में लेखाकिंत न किया जानाः–

परिषद द्वारा सावधि निवेश पर अर्जित ब्याज की पड़ताल में पाया गया कि अवधि 04/11 से 03/13 में ब्याज के रूप में प्राप्त हुई राशि में से ₹3092407/– (जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ङ–1"** में दिया गया है) को रोकड़ वही में लेखाबद्ध नहीं किया गया अपितु प्राप्त ब्याज को सीधे सावधि निवेश में पुनः निवेश के रूप में दर्शा दिया गया। अतः सावधि निवेश पर अर्जित/प्राप्त ब्याज को रोकड़ वही में लेखाबद्ध न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य मे ंअर्जित/प्राप्त ब्याज की राशि का रोकड़ वही में लेखांकन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

(2) बैंक द्वारा ₹292420/– के ब्याज के रूप में कम अदायगीः–

परिषद द्वारा सावधि निवेश पर अर्जित ब्याज की पड़ताल में पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में सम्बन्धित बैंकों द्वारा देय ब्याज की राशि से ₹292420/– कम ब्याज की गणना की गई जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ङ" (1)** में दिया गया है। निम्नविवरणानुसार वर्षवार दिए गए कम ब्याज की वसूली न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अब वसूली हेतु मामला सम्बन्धित बैंकों से उठाया जाए व ₹292420/– की राशि प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

वर्ष	**ब्याज की राशि जो कम दी गई**
2011–12	₹83701
2012–13	₹208719
कुल योग	**₹292420**

(3) वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण ₹865000/– की अतिरिक्त ब्याज आय से वंचित होनाः–

परिषद निधि में करोड़ों रूपये की राशि बिना उचित निवेश के बचत खातों में पड़ी थी। उदाहरणार्थ वर्ष 2012–13 के अन्तिम शेष ₹40497467/– का केवल 42**%** भाग

(₹17152958) ही सावधि जमा योजना में निवेशित था। यदि इस राशि को समय–2 पर उचित वित्तीय प्रबन्धन करते हुए सावधि जमा में निवेश किया जाता तो इससे परिषद को अतिरिक्त ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती। अंकेक्षणाधीन अवधि में अतिरिक्त ब्याज की हुई हानि ₹865000/– (लगभग) का आंकलन नीचे दिया गया है। अगर वर्ष के अन्तिम शेषों के औसतन 75 प्रतिशत भाग को जरूरत अनुसार सावधि जमा में निवेशित किया गया होता तो उक्त अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त की जा सकती थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि परिषद निधि में एकत्रित अधिकतम राशि को उचित भागों में बांटकर सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी एक सावधि जमा निवेश को समय पूर्व भुनाया जा सके तथा अन्य निवेशों पर नियमित रूप से अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त हो सके।

क्र0सं0	**वर्ष**	**31 मार्च को अन्तिम शेष (₹ में)**	**75% राशि जो सावधि जमा निवेश में की जा सकती थी (लगभग) (₹ में)**	**वर्ष में सावधि जमा में निवेशित राशि (₹ में)**	**सावधि जमा में कम निवेशित राशि (लगभग) (₹ में)**	**5% अतिरिक्त ब्याज की दर से प्राप्त होने वाली आय की हानि (लगभग) (लगभग) (₹ में)**
1	2011–12	38996979	29250000	25509827	3740000	190000
2	2012–13	40497467	30400000	17152958	13250000	675000
					कुल योग	**₹865000**

6 अनुदानः–

(क) अंकेक्षण अवधि में नगर परिषद को विभिन्न स्त्रोतों से ₹86686528.65 का अनुदान प्राप्त हुआ था जैसे कि कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई (**परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न) सूचनाओं से विदित होता है। अनुदान राशियों के लेखों की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः–

(1) दिनांक 1.4.2013 को अनुदान की अनुपयुक्त राशि ₹29705961/–

अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि में से ₹29705961/– की राशि

अनुपयोग पड़ी थी जबकि अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक अथवा दो वर्षों के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अतः अनुपयोग इन अनुदान राशियों को समयबद्ध उपयोग न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयोग इन अनुदान राशियों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उद्देश्यों जिन हेतु यह राशियाँ प्राप्त हूई है, व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(2) अनुदानों का स्थापना प्रभार के रूप में अनयमित व्ययः–

अनुदानों की पड़ताल में पाया गया कि परिषद को वर्ष 2011–12 में तीसरे वित्त आयोग से ₹22743837/– एवं तेरवें वित्त आयोग से ₹4989800/– की राशि प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार वर्ष 2012–13 में चौथे वित्त आयोग से ₹26475538/– एवं तेरहवें वित्त आयोग से ₹4686000/– की राशि प्राप्त हुई थी। पड़ताल में पाया गया उपरोक्त वर्णित अनुदानों को उन्ही उद्देश्यों जिन हेतु यह राशियाँ प्राप्त हुई थी पर व्यय न करते हुए अधिकांशतः राशि स्थापना प्रभार के रूप में व्यय कर दिया गया जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अतः अनियमित तरीके से किये गये व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए एवं भविष्य में अनुदानों राशियों को उन्हीं उद्देश्यों जिन हेतु यह राशियाँ प्राप्त हुई है, पर व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) अंकेक्षण अवधि प्रारम्भ अर्थात 01.04.2011 से पूर्व प्राप्त अनुदानों में से अंकेक्षण अवधि में व्यय किए गए अनुदानों व इसमें से अनुपयोग राशियों का विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न है। इन लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 01.04.2011 से पूर्व प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹19366557/– की अनुदान राशियाँ अंकेक्षण अवधि तक अनुपयोग ही पड़ी थी जबकि इनमें से तीन अनुदान राशियाँ ₹1516196/–, ₹12713817 व ₹4000000/– क्रमशः वर्ष 2007, 2010 तथा 2011 में प्राप्त हुई थी इन राशियों का इतने लम्बे समय तक अनुपयोग पड़े रहना एक अत्यन्त ही गम्भीर मामला है क्योंकि जहाँ एक ओर लम्बे समय तक फंडस को

अनुपयोग रखा गया वहीं सम्बन्धित पक्षों को इससे प्राप्त होने वाले लाभों से भी वंचित रखा गया है। अतः इन राशियों के इतने लम्बें समय से अनुपयोग पड़े रहने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयोग इन अनुदान राशियों को या तो सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को वापिस लौटाया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करते हुए इन अनुदान राशियों का नवीनीकरण करवाकर उन्ही उद्देश्यों, जिन हेतु इन्हें प्राप्त किया गया था, पर यथाशीध्र उपयोग किया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 रोकड़ वही में ₹45500/– की प्राप्तियों की प्रविष्टियाँ न किया जानाः–

चयनित मासों में प्राप्त आय के लेखों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्नानुसार प्राप्त आय की प्रविष्टि रोकड़ वही में दिनांक 31.3.13 तक या तो कम की गई थी या की ही नहीं गई थीः–

रोकड़ वही की पृष्ठ सं0	रसीद सं0/माह	प्राप्त आय का शीर्ष (₹)	रसीदों द्वारा जितनी आय वास्तव में प्राप्त हुई थी (₹)	जितनी आय की प्रविष्टि रोकड़ बही में की गई थी (₹)	रोकड़ वही में कम जमा करवाई गई राशि (₹)
18	20 से 57/168 (3/12)	ट्रेड लाईसैन्स शुल्क	200	1900	100
23	66 से 100/170 तथा 1 से 33/172 (3/12)	यथोपरि	3500	3400	100
43	23, 25, 28, 32, 37, 42 से 46, 50, 51, 54, 62, 65 तथा 66/142 (3/13)	विभिन्न शीर्षो से	380	360	20
52	99, 100/146 तथा 3, 5, 8, 11,	यथोपरि	240	170	70

	13 से 16 / 149 तथा 18 / 149 (3 / 13)				
———	48 से 100 / 157 (3 / 13)	यथोपरि	16000	———	16000
	1 से 25 / 159 (3 / 13)	यथोपरि	19860	———	19860
————	6 / 152 (3 / 12)	स्टेशनरी से सम्बन्धित अग्रिम राशि में से शेष राशि की वापिसी	9350	————	9350
					45500

अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 स्थापना / व्ययः–

(1) नगर परिषद द्वारा स्थापना पर निर्धारित प्रावधानों से ₹40421189 / – का अधिक व्यय करनाः–

Municipality Act 1994 की धारा 53 (1) एवं इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा दिनांक 20.6.2001 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार municipalities के लिए उनके स्थापना व्यय नियंत्रित करने हेतु प्रावधान दिये गये है जिसके अनुसार नगर परिषदों के लिए स्थापना पर व्यय उनके खर्च के एक तिहाई अर्थात (1 / 3) भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा स्थापना पर व्यय निर्धारित सीमा 1 / 3 से कहीं अधिक किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

वित्त वर्ष	वित्त वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय (₹)	व्यय का 1/3 भाग जो स्थापना पर किया जाना चाहिए था (₹)(क)	स्थापना पर किया गया वास्तविक व्यय (₹)	स्थापना पर अधिक किया गया व्यय (₹)
2011–12	49375769	16458590	38566406	22107816
2012–13	60526701	20175567	38488940	18313373
			कुल योग	**40421189**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद ने ₹40421189/– स्थापना पर अनुचित रूप से अधिक व्यय किया था जोकि नियमों एवं दिशा निर्देशों के प्रतिकूल है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में स्थापना पर व्यय नियमों एवं दिशा निर्देशों की तय सीमा के भीतर किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(2) नगर परिषद निधि ₹44934/– का अनुचित भुगतानः–

निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश सरकार की पत्र संख्या UD-H(B)(10)-2/2007-1923-1972 दिनाँक 30.01.12 द्वारा सभी EO's को Enforcement/accounts officer, EPFD HP, Shimla के पत्र संख्या EO/Shimla dated 7.12.11 को संलग्न करते हुए EPF & MP Act-1952 के प्रावधानों को नगर परिषद में लागू करने व तदानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। आदेशों की अनुपालना में दैनिक भोगी कर्मचारियों से EPF का अभिदान काटा जाना चाहिए था परन्तु अंकेक्षण को उपलब्ध अभिलेख से विदित हुआ कि अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार राशि कर्मचारी व नियोक्ता अंश के तौर पर EPFO/Shimla के पास SBI A/C No. 7383 establishment code name HPSML 0007383000MC Nahan, में जमा करवाएः–

माह	जमा करने की तिथि	चैक सं0 व दिनांक	नियोक्ता का अंश (₹ में)	कर्मचारी अंश (₹ में)	प्रशासनिक शुल्क (₹ में)	कुल राशि (₹ में)
3/12	1.3.13	130087/ 28.2.13	3878	3721	344	7943
4/12	–यथोपरि–	–यथोपरि–	3480	3340	309	7129
5/12	–यथोपरि–	–यथोपरि–	3247	3116	289	6652
6/12	–यथोपरि–	–यथोपरि–	3870	3715	344	7929
7/12	–यथोपरि–	–यथोपरि–	3361	3226	299	6886
8/12	–यथोपरि–	–यथोपरि–	3518	3376	313	7207
9/12	–यथोपरि–	–यथोपरि–	4123	3956	366	8445
10/12	–यथोपरि–	–यथोपरि–	3828	3676	340	7844
11/12	–यथोपरि–	–यथोपरि–	4094	3929	363	8386
12/12	25.3.13	130094/ 21.3.13	4575	4392	407	9374
1/13	–यथोपरि–	–यथोपरि–	4538	4356	403	9297
2/13	–यथोपरि–	–यथोपरि–	3741	3591	332	7664
			कुल जोड़	**44394**		

किन्तु ₹44394/– का कर्मचारी अंश सम्बन्धित कर्मचारियों कि wages से न काट कर नगर परिषद निधि से ही जमा करवाया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है तथा नगर परिषद निधि का दुरूपयोग हैं वर्णित राशि को अब सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूल करके निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(3) गलत दर से वेतन आहरण करने के कारण ₹76412/– का अधिक भुगतानः–

वाउचर संख्या 11 दिनांक 01.01.2013 ₹112254/–

स्थापना चैक रजिस्टर व सम्बन्धित सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में अवधि 01.04.12 से 30.11.12 तक कुल 8 माह तक देय वेतन दर ₹9480+₹1950 ग्रेड पे=₹11430/– की अपेक्षा ₹10440+2400 ग्रेड पे =₹12840/– की दर

से वेतन का भुगतान किया गया तथा इस प्रकार निम्न विवरणानुसार ₹76412/– का अधिक भुगतान किया गया। नगरपालिका कार्यालय द्वारा गणना में त्रुटियों के कारण अधिक भुगतान की राशि को केवल ₹45120/– ही आंका गया जिसे सम्बन्धित कर्मचारियों से माह 01/13 से 04/13 तक के वेतन से वसूल कर लिया गया था किन्तु शेष राशि ₹31292/– की वसूली अभी भी की जानी अपेक्षित है जिसे सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से वसूल करके नगर पालिका निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

		आहरित वेतन	देय वेतन				
कर्मचारी का नाम व पद	**अवधि**	**मूल वेतन+ग्रेड वेतन+मंहगाई भत्ता (₹ में)**	**मूल वेतन+ग्रेड वेतन+मंहगाई भत्ता (₹ में)**	**अन्तर (₹ में) (3–4)**	**अधिक भुगतान की राशि (₹ में)(2X5)**	**वसूल की गई राशि (₹)**	**वसूली हेतु शेष राशि (₹ में) (6–7)**
श्री नरायण दास मैसन	1.4.12 से 30.6.12 तक =3 माह	10440+2400=12840+8346(65%) =21186	94801950=11430+7430 (65%)=18860	2326	6978+		
	1.7.12 से 30.11.12 तक=5 माह	10440+2400=12840 +9245 (72%)=22085	94801950=11430+8230 (72%)=19660	2425	12125		
					19103	**11280**	**7823**
श्री राम दत्त मैसन	1.4.12 से 30.6.12 तक=3 माह	10440+2400=12840 +8346 (65%)=21186	94801950=11430+7430(65%)= 18860	2326	6978+		
	1.7.12 से 30.11.12 तक=5 माह	10440+2400=12840 +9245 (72%)=22085	94801950=11430+8230 (72%)=19660	2425	12125		

					19103	**11280**	**7823**
श्री मदन लाल, मैसन	1.4.12 से 30.6.12 तक=3 माह	10440+2400=12840 +8346 (65%) =21186	94801950=11430+7430 (65%)=18860	2326	6978+		
	1.7.12 से 30.11.12 तक=5 माह	10440+2400=12840 +9245 (72%)=22085	94801950=11430+8230 (72%)=19660	2425	12125		
					19103	**11280**	**7823**
श्री इकबाल मुहम्मद, मैसन	1.4.12 से 30.6.12 तक=3 माह	10440+2400=12840 +8346 (65%)=21186	94801950=11430+7430 (65%)=18860	2326	6978+		
	1.7.12 से 30.11.12 तक=5 माह	10440+2400=12840 +9245 (72%)=22085	94801950=11430+8230 (72%)=19660	2425	12125		
					19103	**11280**	**7823**
			कुल जोड़		**76412**	**45120**	**31292**

(4) अनुबन्ध कर्मचारियों को ₹56014/– का अनियमित रूप से अधिक भुगतानः–

वाउचर संख्या 14 ऑफ 10/2011=₹14590,

वाउचर संख्या 39 ऑफ 10/2011=₹16480

वाउचर संख्या 14 ऑफ 01/2013=₹14590

वाउचर संख्या 40 ऑफ 1/2013=₹16480

चयनित माह के वेतन व भत्तों के वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित अनुबन्ध कर्मचारियों को देय वेतन से अधिक भुगतान किया गया था। इन कर्मचारियों के सेवा से सम्बन्धित प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन में पाया गया कि अनुबन्ध कर्मचारियों का वेतन वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्याः फिन

(सी) बी (7) 5/2009 दिनांक 3.12.09 द्वारा जारी अनुदेशों के दृष्टिगत दिनांक 01.12.09 से संशोधित किया गया था परन्तु इन अनुदेशों के अनुसार वेतन संशोधन, पे बैंड के न्यूनतम +ग्रेड पे के बराबर होना चाहिए था जबकि निम्न प्रकरणों में उससे अधिक संशोधित वेतन प्रदान किया गया तथा इस प्रकार अवधि 01.12.09 से 31.01.14 तक ₹54014/– का अधिक भुगतान अनियमित रूप से किया गया इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

क्रमांक	**कर्मचारी का नाम व पद**	**पद का संशोधित पे बैंड+ ग्रेड पे (₹ में)**	**संशोधित वेतन जो होना चाहिए (₹ में)**	**संशोधित वेतन जो दिया गया (₹ में)**	**वेतन भुगतान में अन्तर (₹ में)**	**अधिक वेतन भुगतान की अवधि**	**अधिक वेतन भुगतान की राशि (₹ में)**
1	श्री रणवीर सिंह वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता	10300–34800+3800	10300+3800= 14100	14590	490	01.12.09 से 30.10.13 तक=46 30 दिन (31.10.13 से नियमित नियुक्ति)	23014
2	श्री संजीव कुमार, चालक	5910–20200+2000	5910+200= 7910	8240	330	01.12.09 से 31.01.14 तक=50 माह	16500
3	श्री नरेन्द्र कुमार, चालक	5910–20200+200	5910+2000= 7910	8240	330	01.12.09 से 31.01.14 तक =50 माह	16500
						कुल जोड़	**56014**

उपरोक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करने के साथ–2 भविष्य में वेतन भी उचित दर से आहरण किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5 अनुबन्ध के अन्तर्गत श्रीमती रेहाना प्रवीन को ₹19500/– का अधिक भुगतानः–

(वाउचर संख्या 63 दिनांक 23.1.13=₹14000)

चयनित माह के व्यय एवम अदायगी वाउचरों का सम्बन्धित अभिलेख के लेखा परीक्षण करने पर पाया गया कि श्रीमती रेहाना प्रवीन सुपुत्री श्री सैम्युल रहमान, नाहन को उन द्वारा

प्रस्तुत निविदा के आधार पर नगर परिषद के आंबटन पत्र संख्या EST.M.C.Nahan/2013-168 दिनांक 22.1.13 द्वारा Data entry & Accounts work को कार्यान्वित करने हेतु ₹7000/– की दर से तीन माह की अवधि हेतु अनुबन्धित किया गया था। उन द्वारा नगर परिषद को प्रस्तुत अपनी निविदा में रोकड़ वही को (क) telly में लिखने हेतु ₹1500/– प्रति माह तथा (ख) Mannual लिखने हेतु ₹5500/– प्रतिमाह=कुल ₹7000/– की दरें प्रस्तुत की थी जिन्हें उक्त आंबटन पत्र द्वारा स्वीकार कर लिया गया था जैसा कि अंकेक्षण मे अभिलेख प्रस्तुत किया गया था तथा मौखिक तौर से भी नगर परिषद कार्यालय द्वारा पुष्टि की गई कि नगर परिषद की रोकड़ वही telly की अपेक्षा mannual ही लिखी गई थी क्योंकि telly रोकड़ वही बनाने हेतु AG अंकेक्षण दल द्वारा मना कर दिया गया था। अतः ऐसी स्थिति में उन्हें निविदा के अनुसार केवल ₹5500/– प्रतिमाह की दर से ही भुगतान किया जाना था जबकि उक्त वर्णित वाउचर द्वारा उन्हें ₹7000/– की दर से दो माह हेतु ₹14000/– का भुगतान किया गया। इस प्रकार उन्हें ₹3000/– (7000–5500X2 माह) का अधिक भुगतान किया गया। कार्यकारी अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई विस्तृत सूचनानुसार श्रीमती रेहाना प्रवीन को 13 माह अर्थात नवम्बर, 2012 से दिसम्बर, 2013 तक ₹7000/– की दर से ₹98000/– का भुगतान किया जा चुका था तथा उनके अनुबन्ध की समयावधि नगर परिषद के प्रस्ताव संख्याः 16 दिनांक 28.12.13 द्वारा 31.03.14 तक बढ़ा दी गई थी। अतः इस प्रकार वास्तविकता में श्रीमती रेहाना प्रवीन को 13 माह अर्थात नवम्बर, 2012 से दिसम्बर, 2013 तक ₹19500 ₹7000–₹5500=₹1500X13 माह) का अधिक भुगतान हो चुका था जिसे अब उचित स्त्रोत से वसूली करके नगर परिषद निधि में जमा करवाने के साथ–साथ भविष्य में सही दर से भुगतान सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 अनुबन्धित वाहन चालकों के वेतन ₹395520/– का अनियमित व्ययः–

नगर परिषद द्वारा कुल स्वीकृत पदों एवम उनके विरूद्ध नियुक्त कर्मचारियों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि वाहन चालकों के कुल दो ही पद स्वीकृत थे जबकि उनके विरूद्ध चार चालक नियुक्ति थे जिनमें से दो नियमित तथा अन्य दो अनुबन्ध आधार पर नियुक्ति थे। अनुबन्ध आधार पर नियुक्त वाहन चालकों सर्व श्री संजीव कुमार व नरेन्द्र कुमार को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से पदों का सृजन करवाए बिना ही नियुक्ति किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13 दिनांक 28.01.2014 द्वारा

कार्यकारी अधिकारी से अनुबन्ध आधार पर नियुक्ति इन वाहन चालको ंसे सम्बन्धित सेवा अभिलेख अंकेक्षण के अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था पर बार बार अनुरोध करने पर भी अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया जिससे ऐसा संशय होता है कि ये नियुक्तियाँ पद सृजन के अतिरिक्त विहित अन्य औपचारिकताओं को भी पूर्ण किए बिना ही की गई है तथा इनका कोई सेवा अभिलेख भी नहीं रखा गया है। अतः इस प्रकार उक्त वर्णित अनुबन्धित वाहन चालकों को हिमाचल प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति के बिना बगैर सृजित पदो ंके ही नियुक्ति किया गया तथा इन्हें अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹8240 (₹6240+2000 ग्रेड पे) प्रति माह की दर से ₹395520/– के वेतन को भुगतान किया गया था जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों/आदेशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस अनियमित व्यय एवम वर्णित अनियमितता को अब सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7 ₹13728/– वेतन का अनुचित भुगतान किया जानाः–

श्रीमती वन्दना (Community Organiser) की सेवा पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 1.10.2012 से नगर परिषद सभा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 23.4.13 के अनुसार उनके पक्ष में संशोधित ग्रेड पे ₹3200 अनुचित रूप से स्वीकृत की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त (pay renision) विभाग, अधिसूचना संख्या Finm (PR)-8(7)-64/2010 दिनांक 27.9.2012 द्वारा न तो उक्त संशोधित ग्रेड पे का लाभ अधिसूचित किया गया है तथा न ही इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस अनियमितता के कारण दिनांक 1.10.2012 से 31.3.2013 तक कर्मचारी को निम्नानुसार ₹13728/– का अनुचित भुगतान किया जा चुका थाः–

अवधि	मूल वेतन+ग्रेड pay जो प्रदान की गई+डी0ए0 (क)	मूल वेतन+ग्रेड pay जो प्रदान की जानी चाहिए थी+डी0ए0 (ख)	जितना अधिक भुगतान किया गया (ग=(क–ख)	माह (घ)	कुल राशि (गxघ)
1.10.12 से 31.12.12	10300+3200+9720 (72%)=23220	10300+1900+8784 (72%)=20984	2236	3	6708

1.1.13 से 31.3.13	10300+3200+10800 (80%)=24300	10300+1900+9760 (80%) =21960	2340	3	7020

कुल योग 13728

अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹13728/– तथा इस त्रुटि के कारण 1.4.13 के बाद अधिक भुगतान की गई वेतन की राशि की भी अपने स्तर पर गणना करके कुल राशि की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके तथा नगर परिषद निधि में जमा करवा के अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा साथ ही कर्मचारी की ग्रेड पे भविष्य में उचित दर से आहरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 श्री दया राम सफाई कर्मचारी का त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण ₹13432/– का अधिक भुगतानः–

अंकेक्षण में सेवा पंजिकाओं की पड़ताल के दौरान पाया कि श्री दया राम (सफाई कर्मचारी) दिनांक 12.2.05 को ₹2520–4140 के असंशोधित वेतनमान में ₹4700/– मूल वेतन प्राप्त कर रहे थे तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या Fin (PR) B(7)-1/2009 दिनांक 26.8.09 मे वर्णित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1.1.06 को 4900–10680+1300 के देय संशोधित वेतनमान में उनका वेतन ₹8750+₹1300 निर्धारित किया जाना चाहिए था परन्तु इसके विपरीत दिनांक 1.1.06 को उन्हें 4900–10680+1400 का वेतनमान प्रदान किया गया तथा वेतन ₹8750+₹1400 निर्धारित किया गया अर्थात कर्मचारी को ग्रेड पे ₹1300 के स्थान पर ₹1400 प्रदान की गई जोकि अनियमित है तथा इस कारण कर्मचारी को 1.1.06 से 31.3.13 तक निम्नानुसार लगभग ₹13432/– का अधिक अनुचित भुगतान किया जा चुका हैः–

अवधि	मूल वेतन+ग्रेड pay जो प्रदान की गई+डी0ए0 (क)	मूल वेतन+ग्रेड pay जो प्रदान की जानी चाहिए थी+डी0ए0 (ख)	जितना अधिक भुगतान किया गया (ग=(क–ख)	माह (घ)	कुल राशि (गxघ)
1.1.06 से 31.1.06	8750+1400+शून्य=10150	8750+1300+शून्य=10050	100	1	100

1.2.06 से 30.6.06	9060+1400+शून्य=10460	9060+1300+शून्य=10360	100	5	500
1.7.06 से 31.12.06	9060+1400+209 (2%)=10669	9060+1300+207 (2%)=10567	102	6	612
1.1.07 से 31.1.07	9060+1400+628 (6%)=11088	9060+1300+622 (6%)=10982	106	1	106
1.2.07 से 30.6.07	9380+1400+647 (6%)=11427	9370+1300+640 (6%)=11310	117	5	585
1.07.07 से 31.12.07	9380+1400+970 (9%)=11750	9370+1300+960 (9%)=11630	120	6	720
1.1.08 से 31.1.08	9380+1400+1294 (12%)=12074	9370+1300+1280 (12%)=11950	124	1	124
1.2.08 से 30.6.08	9710+1400+1333 (12%)=12443	9700+1300+1320 (12%)=12320	123	5	615
1.7.08 से 31.12.08	9710+1400+1778 (16%)=12888	9700+1300+1760 (16%)=12760	128	6	768
1.1.09 से 31.1.09	9710+1400+2444 (22%)=13554	9700+1300+2420 (22%)=13420	134	1	134
1.2.09 से 30.6.09	10050+1400+2519 (22%)=13969	10030+1300+2493 (22%)=13823	146	5	730
1.7.09 से 31.12.09	10050+1400+3092 (27%)=14542	10030+1300+3059 (27%)=14389	153	6	918
1.1.10 से 31.1.10	10500+1400+4008 (35%)=15458	10030+1300+3966 (35%)=15296	162	1	162
1.2.10 से 30.6.10	10400+1400+4130 (35%)=15930	10370+1300+4085 (35%)=15755	175	5	875
1.7.10 से	10400+1400+5310	10370+1300+5252	188	6	1128

31.12.10	(45%)=17110	(45%)=16922			
1.1.11 से 31.1.11	10400+1400+6018 (51%)=17818	103070+1300+5952 (51%)=17622	196	1	196
1.2.11 से 30.6.11	10760+1400+6202 (51%)=18362	10720+1300+6130 (51%)=18150	212	5	1060
1.7.11 से 31.12.11	10760+1400+7053 (58%)=19213	10720+1300+6972 (58%)=18992	221	6	1326
1.1.12 से 31.1.12	10760+1400+7904 (65%)=20064	10720+1300+7813 (65%)=19833	231	1	231
1.2.12 से 30.6.12	11130+1400+8145 (65%)=20675	11080+1300+8047 (65%)=20427	248	5	1240
1.7.12 से 30.9.12	11130+1400+9022 (72%)=21552	11080+1300+8914 (72%)=21294	258	3	774
1.10.12 से 31.12.12	11130+1650+9202 (72%)=21982	11080+1650+9166 (72%)21896	86	3	258
1.1.13 से 31.1.13	11130+1650+10224 (80%) =23004	11080+1650+10184 (80%)=22914	90	1	90
1.2.13 से 31.3.13	11520+1650+10536 (80%)=23706	11470+1650+10496 (80%)=23616	90	2	180
			कुल योग		**13432**

अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹13432/– तथा इस त्रुटि के कारण 1.4.13 के बाद अधिक भुगतान की गई वेतन की राशि की भी अपने स्तर पर गणना करके कुल राशि की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके तथा नगर परिषद निधि में जमा करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

9 मकान किराया भत्ते की गलत दर प्रदान करने के कारण ₹5000/– का अधिक भुगतानः–

वाउचर संख्या 12 दिनांक 1.1.13 ₹394670

वाउचर संख्या 13 दिनांक 1.1.13 ₹208736

चयनित माह के वेतन एवं भत्तों के बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को देय दर की अपेक्षा अधिक दर से मकान किराया भत्तें का भुगतान किया जा रहा था। विस्तृत लेखा परीक्षण से यह भी पाया गया कि पिछले कुछ महीनों से ही गलत दर से यह भुगतान हो रहा था जिसके कारण निम्नानुसार ₹5000/– का अधिक भुगतान किया गया।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम, पद व कोड सं0	ईसीआर वर्ष व पृ0सं0		मूल वेतन+ग्रेड पे (₹ प्रति माह में)	अदा किये गये मकान किराए भत्ता की दर (₹ प्रति माह में)	मकान किराया भत्ता की देय दर (₹ प्रति माह में)	अन्तर (₹ प्रति माह में)	अवधि	अधिक भुगतान की कुल राशि (₹ में)
		2012–13	2013–14						
1	श्री कमल कुमार, बेलदार (NG 200)	89	102	7990+1400	600	400	200	10/12 से 4/13 तक =7 माह	1400
2	श्री हरमत सिंह, बेलदार	88	101	7990+1400	600	400	200	8/12 से 4/13	1800

								तक=9 माह	
3	श्री कर्मचन्द, बेलदार	117	128	5910+1300	450	300	150	5/12 से 4/13= 12 माह	1800
							कुल जोड़		**5000**

अतः उक्त वर्णित अधिक भुगतान की राशि को अब सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से वसूल करके नगर परिषद निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 श्री रणवीर सिंह वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता को ₹5231/– के यात्रा भत्ता का अधिक भुगतानः–

(क) श्री रणवीर वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता को वाउचर संख्या 83 दिनांक 30.4.12 चैक संख्या 008653 दिनांक 30.4.12 द्वारा ₹5000/– का यात्रा भत्ता अग्रिम दिल्ली में "Training Programme on GIS an essential tool of ULB" विषय पर भारत सरकार Center for urban studies of Indain institute of Public Administration के तत्वाधान में Urban & regional planninh IIPA, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली–2 द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कोर्स हेतु प्रदान किया गया था। इस प्रशिक्षण कोर्स के लिए उन्हें निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या UD-H(F)(2)/2002 Training दिनांक 26.4.12 द्वारा नामित किया गया था। उन्होंने अपना यात्रा भत्ता अग्रिम समायोजन लेखा दैनिकी संख्याः 3178 दिनांक 18.8.12 द्वारा ₹15969/– का यात्रा भत्ता दावा सहित कार्यालय को प्रस्तुत किया जिसे कार्यकारी अधिकारी द्वारा स्वीकृत करते हुए ₹15000/– के यात्रा भत्ता अग्रिम का समायोजन करने के उपरान्त उन्हें शेष ₹969/– का भुगतान वाउचर संख्या 71 दिनांक 30.8.12 चैक संख्या 048960 दिनांक 30.8.12 द्वारा किया गया था। उन द्वारा प्रस्तुत यात्रा भत्ता दावा का विवरण इस प्रकार से थाः–

1	नाहन से दिल्ली आने जाने का किराया ₹547X2	₹1094
2	DA, 30.4.12 से 13.5.12 तक ₹250X14 दिन	₹3500
3	हॉस्टल ठहरने का किराया ₹625X13 दिन	₹8125
4	स्थानीय यात्रा भत्ता ₹250X13 दिन	₹3250
	कुल जोड़	**₹15969**

वास्तविकता में यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 164 तथा इसके अन्तर्गत भारत सरकार के निर्णय संख्या 3 के पैरा 2 में वर्णित प्रावधानानुसार उन्हें DA के बदले विशेष भत्ता जोकि Actual Exp. On boarding & lodging+1/4of full DA के बराबर देय था। अतः उन्हें यात्रा भत्ता की देय राशि निम्न प्रकार से ₹10738/– बनती थीः–

(क)	आने जाने का किराया ₹547X2	₹1094
(ख)	यात्रा अवधि का DA 2No. (₹196060+250),	₹447
(ग)	वास्तविक boarding & Lodging ₹625x12 दिन+Mess chargesvide IIPA bill No. 121531 दिनांक 12.05.12	₹8447
(घ)	DA, 1/4 ₹250X12 दिन	₹750
	कुल जोड़	**₹10738**

इस प्रकार श्री रणवीर वर्मा, क0अ0 को यात्रा भत्तो की ₹5231/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली अब सम्बन्धित कर्मचारी से करके राशि को नगर परिषद निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त उन्होंने यात्रा भत्ता अग्रिम समायोजन बिल दिनांक 13.5.12 को वापिसी यात्रा पूर्ण करने के लगभग तीन माह बाद दिनांक 18.8.12 को कार्यालय में प्रस्तुत किया जबकि नियमानुसार इसे वापिसी यात्रा के 15 दिनों के भीतर कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था और ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें प्रदत ₹15000/– के यात्रा भत्ता अग्रिम की वसूली आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा एकमुश्त की जानी अपेक्षित थी जो ऐसा करने में विफल रहे। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे अब सक्षम

प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में उक्त नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

11 श्री अशोक कुमार, सफाई कर्मचारी को ₹1852/– वेतन का अधिक भुगतानः–

श्री अशोक कुमार, सफाई कर्मचारी को वाउचर संख्या 9 दिनांक 01.01.13=₹178790 द्वारा दिसम्बर, 2012 के पूरे माह का वेतन निम्न विवरणानुसार ₹11481/– अदा किया गया था (स्थापना चैक रजिस्टर पृष्ठ 55)

मूल वेतन	₹5090
ग्रेड पे	₹1300
मंहगाई भत्ता 72%	₹4601
अन्य भत्ते	₹490
कुल	**₹11481**

उनकी सेवा पंजिका में रख रखाव किए गए छुटटी के खाते के अवलोकन करने पर पाया गया कि माह दिसम्बर में वे 5 दिन दिनांक 10.12.2012, 17.12.2012, 29.12.2012 से 31.12.2012 तक अनुपस्थित रहे तथा इस अनपुस्थिति को देय अवकाश स्वीकृत कर नियमित करने की अपेक्षा उन्हें अवैतनिक अवकाश पर दर्शाया गया था (पृष्ठ संख्या 136 सेवा पंजिका) परन्तु वेतन उपरोक्त विवरणानुसार पूरे माह का अदा किया गया था। इस प्रकार उन्हें 5 दिनों का वेतन का ₹1852/– (₹11481x5/31) अधिक भुगतान किया गया जिसे उनसे वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त उनकी सेवा पजिका भी अपूर्ण थी क्योंकि वे दिनांक 20.11. 2008 को वेतनमान ₹2620–4140+100 सचिवालय भता, में नियमित तौर पर नियुक्ति हुए थे। इसके बाद उनका 01.01.2006 से संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारण हुआ परन्तु उसकी कोई भी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में नही की गई थी जबकि उन्हें वेतन संशोधित वेतनमानों में दिया जा रहा था। अतः सेवा पुस्तिका को अपडेट करने के साथ–साथ अन्य सभी ऐसे मामलों पर यथोचित कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 ₹5200/– की अवितरित राशि का समयानुसार वापिस नगरपालिका निधि में जमा न करवानाः–

श्री अनिल शर्मा, पार्ट टाईम अभियन्ता का माह 12/2012 का माह 01/2013 में देय पारिश्रमिक ₹400/– चैक संख्या 049166 दिनांक 01.01.2013 द्वारा आहरित किया गया था किन्तु अंकेक्षण की तिथि तक उन्हें यह वितरित नहीं हो पाया था। विस्तृत लेखा परीक्षण पर विदित हुआ कि इनका पारिश्रमिक अवधि अगस्त 2012 से अगस्त 2013 तक लगातार आहरित किया जाता रहा तथा इसका वितरण नहीं किया गया था और अन्ततः अवितरित राशि ₹5200/– (400X13 माह) को रसीद संख्या 00030/199 दिनांक 28.09.2013 द्वारा वापिस नगर परिषद निधि में जमा करवाया गया। नियमानुसार अवितरित राशि को एक सप्ताह के अन्दर वापिस निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित था जबकि वर्तमान प्रकरण में इसे लगभग 1 वर्ष बाद जमा करवाया गया जो कि गम्भीर अनियमितता है इस बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए उच्च सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त अवितरित राशि के तथ्य से संशय होता है कि श्री अनिल शर्मा नगर परिषद के कार्य हेतु न तो उपलब्ध थे और न ही इनसे कोई कार्य लिया प्रतीत होता है। अतः इस प्रकरण की विभागीय स्त्तर पर छानबीन कर यथोचित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 ₹869896/– के मूल्य की अनपुयोगी/बेकार पड़ी वस्तुओं का निपटारा न करनाः–

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन से विदित हुआ कि भण्डार में **परिशिष्ट "ङ (ii)"** में दिए गए विवरणानुसार ₹869896/– मून्य की वस्तुऐं पिछले लगभग 5–6 वर्षों से अनुपयोगी/बेकार पड़ी हुई है तथा इन वस्तुओं की नियमानुसार निपटारे हेतु नगर परिषद द्वारा कोई पग नही उठाए गए थे। अतः परामर्श दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली खण्ड–1 के नियम 15.3 में वर्णित प्रावधान व विहित प्रक्रिया अपनाकर इन वस्तुओं का निपटारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 हिमाचल प्रदेश खाद्य एवम नागरिक आपूर्ति विभाग नाहन को राशन कार्ड बनाने की फीस की एवज में ₹13755/– का अधिक भुगतानः–

(क) वाउचर संख्याः 28, दिनांक 01.01.13 ₹11945 के तहत नगर परिषद द्वारा नियन्त्रक, जिला खाद्य एवम नागरिक आपूर्ति विभाग नाहन को अवधि 26.07.12 से 24.12.12 तक कुल 2389 नए राशन कार्ड बनाने हेतु प्राप्त फीस में से ₹5/– की दर स ₹11945/– चैक संख्या 049181 दिनांक 01.01.13 द्वारा अदा किए। हिमाचल प्रदेश सरकार खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोगता मामले विभाग की अधिसूचना संख्या FDS-A(3)-8/2002 दिनांक 28.11.03 द्वारा अधिसूचित तथा FDS-A(3)-2/2004 दिनांक 30.10.10 द्वारा संशोधित हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश 2003 के नियम 10 (3) "every person applying for the issue of consumer card, before such card is issued to him, shall deposit fees of ₹5 with the specified Authority" तथा सह पठित नियम 10 (15) वसूली गई उपभोगता कार्ड की फीस लागत में से 50% की प्रतिपूर्ति यथास्थिति शहरी स्थानीय निकायों या पंचायत को उपभोगता कार्ड तैयार करने हेतु सेवा प्रभार के रूप में की जायेगी। अतः वर्णित नियमानुसार नए राशन कार्ड बनाने हेतु ₹5 की दर से फीस ली जानी थी तथा उसमें से 50% अर्थात ₹2.50 नगर परिषद को कार्ड बनाने की एवज में तथा शेष ₹2.50 जिला खाद्य एवम नागरिक आपूर्ति विभाग नाहन को देय थे परन्तु नगर परिषद ने जिला खाद्य एवम नागरिक आपूर्ति विभाग नाहन को 2389 नए राशन कार्ड बनाने हेतु देय ₹5973/– की अपेक्षा ₹11945/– का भुगतान किया जो कि ₹5972/– अधिक था। आगे नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार वास्तविकता में अवधि 2011–12 से 2013–14 तक कुल 6708 नए राशन कार्ड बनाये गए तथा जिसमें से 5502 राशन कार्डों की फीस ₹5/– की दर से ₹27510/– जिला खाद्य एवम नागरिक आपूर्ति विभाग नाहन को अदा किए जो कि ₹13755/– अधिक थे। अतः अधिक भुगतान की गई ₹13755/– की राशि को अब जिला खाद्य एवम नागरिक आपूर्ति विभाग नाहन से वसूल करके या उन्हें भविष्य में देय राशि में से समायोजित करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त उपरोक्त भुगतान की सम्बन्धित विभाग से उचित प्रपत्र TR 5 में रसीद भी प्राप्त नहीं की गई थी जिसे अब प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण के दौरान अनुपालना का सत्यापन करवाया जाये।

11 Dumper की खरीद में पाई गई अनियमितताएंः–

नगर परिषद ने दिनांक 30.03.12 को हुई आम सभा के प्रस्ताव संख्या 7 द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि सफाई शाखा में कूड़ा उठानें के लिए नया डम्पर खरीदा जाना उचित है। यथानुसार डम्बर/प्लेसर अधिकृत विक्रेता मैसर्ज सिकंद व कम्पनी चम्बाघाट, सोलन से उनके बिल संख्या सिकन्द–1213–00802 दिनांक 30.11.12 को ₹1175000/– में क्रस किया गया तथा इसका भुगतान ₹1146000/– ₹29000/– का Discount प्राप्त करने के उपरान्त, भारतीय स्टेट बैंक–नाहन के ड्राफ्ट संख्या 605189 दिनांक 31.10.12 द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त ओरिएंटल इन्शुरेंन्स कम्पनी नाहन को ₹23338/– चैक संख्या 04 9109 दिनांक 29.11.12 द्वारा गाड़ी की बीमा योजना के अदा किये गये।

उक्त खरीद भारतीय स्टेट बैंक नाहन से ऋण लेकर की गई जिस हेतु नगर परिषद ने दिनांक 29.12.12 को हुई आम सभा के प्रस्ताव संख्या 8 द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। इसके अतिरिक्त कार्यकारी अधिकरी ने अपने पत्र संख्या accountant MCN/2012-2306 dated 23.10.12 द्वारा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक नाहन को नगर परिषद निधि के बैंक खाता संख्या 65047070129 से ऋण की 25% मार्जिन राशि ₹287000/– अपफ्रंट फीस ₹10738/– तथा मासिक किश्त ₹17000/– प्रति माह की दर से कटौती करने हेतु अधिकृत किया। यथानुसार बैंक ने मार्जिन राशि ₹287000/– व अपफ्रंट फीस ₹10738/– दिनांक 31.10.12 को तथा मासिक किश्त ₹17000/– प्रति माह की 5 किश्तें दिनांक 15.11.12, 15.12.12, 15.01.13, 15.02.13 व दिनांक 15.03.13 का उक्त वर्णित बैंक खाते से काट ली थी।

इस सारे ही प्रकरण में निम्नलिखित गम्भीर अनियमितताएं पाई गई जिनका समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(क) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमानुसार, प्रत्येक वित्तीय लेन–देन का रोकड़ वही में प्रतिदिन इन्द्राज करना जरूरी है किन्तु नगर परिषद द्वारा उक्त किए गए किसी भी लेन–देन का रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं किया गया था।

(ख) नए वाहन को खरीदने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की आवश्यक पूर्व अनुमति एवम सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

(ग) बैंक से ऋण लेने की भी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

12 बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के ₹86912/– का अनियमित व्ययः–

चयनित माह के वाउचरों का सम्बन्धित अभिलेख का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद की गाड़ी संख्या एच0पी0–18–4981 की पार्किंग मुरम्मत अधिकृत डीलर आकाश ओटो मोबाईल नारायण गड़ अम्बाला से ₹86912/– में करवाई गई थी जिसकी वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी अधिकारी नाहन द्वारा प्रदान की गई थी। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये अभिलेख व सूचना से विदित हुआ कि इस गाड़ी का क्रय ₹504714/– था तथा इस पर उक्त मुरम्मत करवाये जाने तक ₹1097044.52 खर्च किये जा चुके थे जोकि क्रय मूल्य से ₹592330/– अधिक थे। ऐसी स्थिति में कार्यकारी अधिकारी इस व्यय को नियमानुसार स्वीकृति करने हेतु सक्षम नहीं थे तथा अब इस अनियमित व्यय को उच्च सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

13 नियमानुसार विहित क्रय प्रक्रिया न अपनाकर ₹957813/– की बिजली की वस्तुएं क्रय करनाः–

वाउचर संख्या 35 दिनांक 5.1.13 द्वारा सीमित निविदाओं के आधार पर न्यूनतम निविदाकर्ता से ₹83754/– के बिजली के सामान का क्रय करने हेतु भुगतान किया गया था। अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई सूचना व अभिलेख से विदित हुआ कि एक वित्तीय वर्ष के लिए बिजली के सामान की आपूर्ति करने हेतु सीमित निविदाएँ आमन्त्रित की गई थी तथा न्यूनतम निविदाकर्ताओं से एक वर्ष में ₹957813/– के बिजली के सामान का क्रय किया गया था। चूँकि क्रय की गई सामान की राशि एक लाख से अधिक व आपूर्ति की अवधि 1 वर्ष थी इसलिए नियमानुसार खुली निविदाएँ अखबार के माध्यम से मंगवाई जानी चाहिए थी ताकि वास्तविक पूर्ण प्रतियोगात्मक दरों का लाभ प्राप्त किया जा सकता। अतः नियमानुसार विहित क्रय प्रक्रिया की उल्लंघना करके जो अनियमित व्यय ₹957813/– किया गया है उसे अब उच्च सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाये जाने के साथ–2 भविष्य में क्रय की नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 बिजली के बिलो ंपर विलम्ब शुल्क ₹1483/– का अनियमित भुगतानः–

(क) नगर पालिका ने Dumping sitet पर लगे बिजली के मीटर नं0 SMC 2000001 के अवधि 5/12 से 8/12 तक के बिल का भुगतान वाउचर संख्या 45 दिनांक 10.01.13 चैक संख्या 130023 दिनांक 10.01.13 व रसीद संख्या 1015690 दिनांक 19.01.13 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड काला अम्ब को ₹20407/– का किया। इस अदा किये गये बिल में निम्नानुसार पिछले बिलों को समय पर अदा न करने का विलम्ब शुल्क भी शामिल थाः–

बिल संख्या	**विलम्ब शुल्क की राशि (₹ में)**
00055883 दिनांक 24.11.11	354
00009580 दिनांक 18.5.12	366
0743673 दिनांक 30.8.12	379
111220622483 दिनांक 27.8.12	384
कुल जोड़	**1483**

बिजली के बिलों का भुगतान समय पर किया जाना अपेक्षित था ताकि विलम्ब शुल्क से बचा जा सके। ऐसा न करके नगर पालिका निधि पर ₹1483 का अनुचित प्रभार डाला गया है जोकि अनुचित है जिसका या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से करके नगर पालिका निधि की भरपाई की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये अभिलेख नोट संख्या 2557 दिनांक 10.7.12 के अवलोकन से विदित हुआ कि Dumping site का बिजली का मीटर काफी समय से Disconnected था तथा आगे इसके reconnection के लिए कार्यकारी अधिकारी ने पत्र संख्या MCN (Acctts)/2013-3599 दिनांक 18.7.13 द्वारा HPSEB काला अम्ब को प्रार्थना की थी तथा साथ में चैक संख्या 173084 दिनांक 16.7.13 द्वारा ₹1332 reconnection fees भी जमा करवाई गई थी। आगे उक्त (क) में वर्णित बिजली के बिलों के अवलोकन से विदित हुआ इन सब बिलो ंपर एक ही मीटर रीडिंग 97776 दर्ज थी और बिल औसत आधार पर दिया गया था। अंकेक्षण को चर्चा के दौरान सूचित किया गया कि Dumping site में खाद छानने

की मशीन लगी है पर उसके चालक न होने के कारण मशीन बन्द पड़ी है तथा इस प्रकार Dumping site पर बिजली की खपत न के बराबर है। ऐसी स्थिति में ₹20407/– के भारी भरकम बिल का आना संशयपूर्ण लगता है तथा परामर्श दिया जाता है कि इस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन हेतु मामला HPSEB से उठाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 ₹30000/– अग्रिम राशि का समायोजन शेषः–

अंकेक्षण के दौरान परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार श्री परवेज एकबाल कनिष्ट अभियन्ता को दिनांक 31.3.13 को दी गई ₹30000/–अग्रिम राशि का समायोजन नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस राशि के शीध्र समायोजन हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

16 दिनांक 01.01.06 को वेतन निर्धारित करने हेतु आवश्यक औपचारिकता पूर्ण न किये जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान कुछ सेवा पंजिकाओं की पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर परिषद के जिन कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि माह जनवरी थी उनसे संशोधित वेतनमानों के अन्तर्गत दिनांक 01.01.06 को संशोधित वेतन निर्धारित करते समय विहित प्रपत्र पर यह विकल्प (option) कि दिनांक 01.01.06 को उनका संशोधित वेतन निर्धारण पुराने वेतन पर दिनांक 01.01.06 को वार्षिक वेतन वृद्धि देने के पश्चात या देने से पूर्व किया जाये नहीं लिए गए प्रतीत होते है जोकि Govwernment of Himachal Pradesh, department of Finance (Pay Revision Section) की अधियाचना संख्या Fin-(PR) B(7)-1/2009 दिनांक 26.08.09 की निर्देश संख्या 7 (iv) (Note-1) के अनुसार लिए जाने अनिवार्य थे। अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित कर्मचारियों जिनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 01.01.06 थी से सम्बन्धित यह विकल्प कई बार आग्रह करने पर भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस अनियमितता से सम्बन्धित सभी प्रकरणों में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	श्री कर्मचारी का नाम	पद
1	श्री राज कुमार	सफाई कर्मचारी
2	श्रीमती सुदेश	सफाई कर्मचारी
3	श्री दयानन्द	बेलदार

17 सी0सी0एस0 पैन्शन, नियम, 1972 के नियम 27 की अवहेलना किये जाने तथा Assured Progression scheme के अन्तर्गत अनुचित लाभ दिए जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान कुछ सेवा पंजिकाओं की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद के कई कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान कई बार बिना वेतन के अवकाश (Leave without pay) पर रहे है परन्तु उनके द्वारा व्यतीत की गई इन leave without pay से सम्बन्धित अवधियों को सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार (पैन्शन रूल 27) के अनुसार नियमित नहीं किया गया है जोकि किया जाना अनिवार्य है अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारियों की leave without pay से सम्बन्धित अवधि से पहले की सारी सेवा अवधि रद्द मानी जाती है। निम्नलिखित कुछ प्रकरणों की पड़ताल पर पाया गया कि इन कर्मचारियों की leave withour pay से सम्बन्धित अवधियों से पहले की सेवा अवधियों को गणना में ले कर assured progression scheme के अन्तर्गत उन्हें उच्च वेतनमान प्रदान करके वित्तीय लाभ भी प्रदान किये जा चुके है जबकि leave withour pay से सम्बन्धित अवधियों से पहले की सेवा अवधियों को तब तक गणना में नहीं लिया जा सकता था जब तक इन अवधियों को सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार नियमित नहीं किया जाता। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस अनियमितता बारे आपति उठाई गई थी परन्तु इस अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे कोई ठोस कार्यवाही की गई नहीं पाई गई। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 या तो निम्नलिखित प्रकरणों तथा इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों को चिहिन्त करने के उपरान्त देय अवकाश स्वीकृत करके सक्षम अधिकारी द्वारा नियमित करवाया जाए अन्यथा इनसे उच्च वेतनमान के फलस्वरूप प्रदान किये गए अतिरिक्त वित्तीय लाभ की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	ACPS के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने की तिथि	Leave without pay से सम्बन्धित अवधियाँ जो नियमानुसार नियमित नहीं की गई
1	श्रीमती सुदेश	सफाई कर्मचारी	1.1.98	17.2.06	01.09.98 से 02.09.98 (2 दिन), 14.09.98 से 21.09.98 (8 दिन), 01.04.01 से 09.04.01 (9 दिन), 08.05.01 से 20.5.01 (13 दिन), 20.12.01 से 26.12.01 (7 दिन), 03.06.03 से 10.06.03 (8 दिन)
2	श्री बुल्ली	सफाई कर्मचारी	8.10.98	9.11.06	27.9.2000 से 05.10.2000 (9 दिन), 20.11.2000 से 26.11.2000 (7 दिन), 05.05.02 से 11.05.02 (7 दिन), 15.6.02 से 23.6.02 (9 दिन)
3	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरजीत	सफाई कर्मचारी	26.9.98	27.9.06	03.02.99 (1 दिन)
4	स्व0 राजेन्द्र कुमार	सफाई कर्मचारी	1.5.91	6.5.99 (8 वर्ष पश्चात) 6.5.07 (16 वर्ष पश्चात)	16.02.99 से 20.02.99 (5 दिन)

18 (1) अवकाश खातों में अवकाश के शेष अनुचित रूप से अधिक दर्शाए जाने से सम्बन्धित अनियमितताएं:–

अंकेक्षण के दौरान कुछ सेवा पंजिकाओं की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद के कई कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान कई बार बिना वेतन के अवकाश leave without pay पर रहे है परन्तु leave without pay से सम्बन्धित अवधियों को सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार (पैन्शन रूल 27) कोई अन्य प्रकार का अवकाश स्वीकृति करके नियमित नहीं किया है। सेवा पंजिकाओं के अवलोकन पर पाया गया कि leave without pay से सम्बन्धित इन अवधियों को extraordinary leave without medical certificate/dies non माना गया था क्योंकि विभिन्न सेवा लाभ देते समय इन अवधियों को गणना में शामिल नहीं किया था जैसे कि assured career progression scheme के अन्तर्गत लाभ देते समय इन अवधियों को शामिल नहीं किया था। यदि इन अवधियों को leave without pay/dies non माना गया था तो छिमाही अर्जित अवकाश का 15 दिन का जमा (Credit) इन अवधियों के $1/10^{th}$ के बराबर कटौती उपरान्त ही दिया जाना चाहिए था जोकि नहीं किया जा रहा है जिस कारण अवकाश खातों में अवकाश के शेष अनुचित रूप से अधिक दर्शाए जा रहे हैः–

क्र0सं0	**कर्मचारी का नाम**	**पद**	**अवधि जिस दौरान LWP स्वीकृत की गई**
1	श्री दया राम	सफाई कर्मचारी	2.10.73 से 28.12.12 के बीच
2	श्री लिखत राम	बेलदार	24.5.02 से 31.12.12 के बीच
3	श्री काका राम	बेलदार	17.4.07 से 30.10.11 के बीच
4	श्री कुलदीप	बेलदार	दिनांक 30.4.07 तथा 01.05.07

अतः उपरोक्त प्रकरणों में इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 कर्मचारियों के ऐसे समस्त अन्य समरूप प्रकरणों में इन leave without pay से सम्बन्धित अवधियों को नियमानुसार करके तथा उनके अवकाश खातों में इसके फलस्वरूप अपेक्षित संशोधन करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(2) अर्धवैतनिक अवकाश (HPL) से सम्बन्धित अभिलेख के अनुरक्षण में पाई गई अनियमितताएंः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में उनके अर्धवैतनिक अवकाश खातों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। नियमानुसार अर्धवैतनिक अवकाश खातों में वर्ष के दौरान दो बार पहली जनवरी व जुलाई को दस दिन का अग्रिम जमा (credit) प्रदान किया जाना अनिवार्य है ताकि खातों में वर्षवार अर्धवैतनिक अवकाश के शेषों की सही स्थिति परिलक्षित हो सके परन्तु निम्न प्रकरणों में ऐसा नहीं करने के कारण कर्मचारियों के अर्धवैतनिक अवकाश खाते शेषों की सही स्थिति परिलक्षित नहीं करते थे। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 निम्नलिखित तथा इस प्रकार के अन्य समरूप प्रकरणों में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए तथा भविष्य में कर्मचारियों के अर्धवैतनिक अवकाश खातों का रख रखाव नियमानुसार सही ढ़ंग से किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पद	टिप्पणी
1	श्री नारायण दास	मिस्त्री	सेवा पंजिका में अर्धवैतनिक अवकाश खाते का नियमानुसार रख रखाव नहीं किया गया था
2	श्री इकबाल मुहम्मद	मिस्त्री	–यथोपरि–
3	श्री दया राम	सफाई कर्मचारी	–यथोपरि–
4	श्री सोहन लाल	बेलदार	–यथोपरि–

(3) सेवा पुस्तिकाओं के अनुरक्षण में पाई गई अनियमितताएंः–

नगर परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित आवश्यक सूचनाएं व जानकारियाँ सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टि नहीं की जा रही है जिसकी अनुपस्थिति में संस्था के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को अनुचित लाभ प्राप्त होने या देय सेवा/सेवा निवृति लाभों की प्राप्ति में विलम्ब होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस बारे आपत्ति उठाई गई थी परन्तु वर्तमान अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी। अतः सेवा पुस्तिकाओं में पाई गई निम्न त्रुटियों बारे अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई थी। अतः सेवा

पुस्तिकाओं में पाई गई निम्न त्रुटियों बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(i) जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 खाता संख्या को सेवा पुस्तिका में न दर्ज करना।

(ii) समूह बीमा योजना खाता संख्या का सेवा पुस्तिका में दर्ज न होना

(iii) जी0पी0एफ0, सी0पी0एफ0 व जी0आई0एस0 की राशि की प्राप्ति हेतु किसी पारिवारिक सदस्य/सदस्यों को नामांकित न करना।

(iv) परिवार के आश्रित सदस्यों की सूची न लगाना।

(v) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु विकल्प बारे इन्द्राज न होना

(vi) एल0टी0सी0 हेतु स्थाई पता प्रविष्टि न होना

(vii) अवकाश स्वीकृति आदेशों की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि न करना तथा अवकाश खातों का नियमित रूप से नवीनीकरण न करना।

(4) आवश्यक विहित प्रक्रिया पूर्ण किये बगैर तथा बिना आदेशों के कर्मचारियों को ACPS के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने सम्बन्धी अनियमितताएंः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को जिन कार्यालय आदेशों द्वारा ACPS के अन्तर्गत वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किये गये थे परन्तु इससे सम्बन्धित कार्यालय आदेश अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा संशय होता है कि न तो ACPs के अन्तर्गत वित्तीय लाभ प्रदान करने सम्बन्धी कार्यालय आदेश जारी ही किये जा रहे है और न ही इन लाभों को प्रदान करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश सरकार के फाईनैन्स (पे रीवीसन) डिपार्टमैनट, की पत्र संख्या फिन (पी0आर0) बी (7) 51/98, दिनांक शिमला'–171002, 15.12.1998 की निर्देश संख्या (4) में वर्णित विहित प्रक्रिया ही अपनाई जा रही है जिसकी अनुपस्थिति में कर्मचारियों को ही ACPS के अन्तर्गत वित्तीय लाभ प्रदान करना अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में निर्देशानुसार ACPS के अन्तर्गत वित्तीय लाभ प्रदान करने से पूर्व विहीत प्रक्रिया का पूर्ण करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से कार्यालय आदेश जारी किये जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	तिथि जब ACPS के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया गया
1	श्री नारी दास	मिस्त्री	1.4.99	1.4.07
2	श्री इकबाल मुहम्मद	मिस्त्री	1.4.99	1.4.07
3	श्री सोहन सिंह	बेलदार	1.1.98	1.1.06

(5) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कर्मचारियों को संशोधित ग्रेड पे का अनियमित रूप से लाभ प्रदान करनाः–

नगर परिषद के कर्मचारियों की चयनित आधार पर सेवा पंजिकाओं के अवलोकन में पाया गया की नगर परिषद ने हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त (pay revision) विभाग, अधिसूचना संख्या Fin (PR)-B(7)-64/2010 दिनांक 27.9.2012 के अनुसार संशोधित ग्रेड पे का लाभ दिनांक 1.10.12 से **परिशिष्ट "च"** में दर्शाए गये कर्मचारियों को अपने स्तर पर ही प्रदान किया था जबकि विहित प्रक्रिया के अनुसार यह लाभी कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही दिया जाना अपेक्षित था परन्तु ऐसा किया गया प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अंकेक्षण के दौरान बार–2 आग्रह करने पर भी सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। यह तथ्य सेवा निवृत हो चुके श्री धर्मवीर (वन रक्षक) के प्रकरण से भी स्पष्ट होता है जिन्हें सेवानिवृत लाभ निदेशक, शहरी विकास द्वारा असंशोधित ग्रेड पे के आधार पर ही स्वीकृत किये गये है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए अब सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके दिनांक 1.10.2012 से प्रदान किये गये संशोधित ग्रेड पे के लाभ को नियमित करवाया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में किये गये अनियमित वित्तीय भुगतान की राशि की अपने स्तर पर गणना करके उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(6) कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में सेवा का सत्यापन (Service Verification) नियमित तौर पर न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की पड़ताल करने पर पाया गया कि कर्मचारियों की वार्षिक सेवा का सत्यापन नियमित तौर से नहीं किया जा रहा था जोकि

नीचे दिए गए कुछ उदाहरणों से स्पष्ट है। अतः निम्नलिखित व समरूप प्रकरणों में सेवाओं का सत्यापन करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए भविष्य में सेवा का सत्यापन नियमित तौर से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	**कर्मचारी का नाम**	**जिस पद पर कार्यरत्त है**	**अवधि जिसका सत्यापन नहीं किया गया**
1	श्री स्वर्ण सिंह	बेलदार	1.4.12 से 31.3.13
2	श्री हरमत सिंह	बेलदार	1.4.08 से 31.3.13
3	श्री कमल	बेलदार	1.4.12 से 31.3.13
4	श्री नाजिम अली	बेलदार	1.4.08 से 31.3.09 तथा 1.4.12 से 31.3.13
5	श्री गुरविन्दर सिंह	बेलदार	–यथोपरि–
6	श्री मोहन लाल	बेलदार	1.4.09 से 31.3.13

19 वर्गीकृत खाता बहियों को तैयार न करनाः–

नगर परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पलिका अधिनियम 1994 के नियम 66 व 67 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के करों की वसूली की जा रही है। इसी प्रकार विभिन्न मदों पर व्यय भी किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा आय व व्यय के मदवार पृथक–2 लेखा शीर्षो के अन्तर्गत खाता बहियाँ तैयार नहीं की गई थी। मदवार खाता बहियाँ तैयार नहीं होने की स्थिति में यह स्पष्ट नहीं होता है कि एक निश्चित अवधि में विभिन्न मदों में आय व व्यय की कितनी मांग थी, कितनी प्राप्ति व व्यय हुआ तथा एक निश्चित तिथि को कितनी राशि वसूली अथवा भुगतान हेतु शेष थी। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक आय व्यय मद की खाता बहियाँ तैयार की जाए ताकि किसी भी प्रकार की कम अथवा अधिक प्राप्ति/व्यय की सम्भावना को रोका जा सके तथा प्रत्येक मद का सही आंकड़े एक नजर में देखें जा सके। कृत कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 निर्माण कार्यः—

(1) ठेकेदार का नामः— अरविन्द कुमार बंसल, मकान नं0 756/08, बड़ा चौक नाहन

कार्य का नामः— Repainting of Road from Co-op Bank upto Library chowk Nahan=750 Rmt.

कार्य पूर्ण करने का समयः— 2 माह

उपरोक्त कार्य आंबटन कार्यकारी अधिकारी के पत्र संख्या JE MCN/2010-29 दिनांक 07.5.10 द्वारा ₹867017.70 में HPSR 1999 से 208.186% अधिक प्रीमियम पर किया गया था द्वितीय एवम अन्तिम चलत बिल के Abstract of cost (माप पुस्तिका संख्या 36507 पृष्ठ 44 से 47 तक) के अनुसार कुल कार्य ₹1657736/—का हुआ तथा विभिन्न वसूलियों/कटौतियों के उपरान्त ठेकेदार को ₹434633/— का शुद्ध भुगतान चैक संख्या 027877 दिनांक 25.07.12 के माध्यम से किया गया। इस निर्माण कार्य का सम्बन्धित अभिलेख के साथ विस्तृत अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई जिनका समाधान कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(क) माप पुस्तिका में निर्माण कार्य से सम्बन्धित विभिन्न मदों की कुल कार्य प्रमात्रा वास्तविकता से अधिक दर्शाने के फलस्वरूप ठेकेदार को ₹85181/— का अधिक भुगतानः—

इस निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु अनुबन्धित मदों का विवरण, अनुमानित व वास्तविक में निष्पादित कार्य प्रमात्रा तथा तय भुगतान दर का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

	अनुबन्धित मदों की संख्या व विवरण	अनुमानित कार्य प्रमात्रा (Sqm)	वास्तविकता में निष्पादित कार्य प्रमात्रा (Sqm)	तय भुगतान दर (₹ में प्रति 10 वर्ग मीटर)
1	Preparing surfaces with brushed for removing caked mud etc. sweeping with brooms and fanning the cleaned surface with gunny	2634.97	5075.11	43

	bags to remove all loose dirt etc.			
2	Providing and applying evenly a primary/track coat with the bituminous primer 5 Kg per 10 Sqm in straight run	2634.97	6260.63	342
3	5 CM consolidated thick premixed bituminous macadam surfacing as specified excluding seal coat	928	2345.46	2940
4	2CM consolidated thick single coursed precarpet surfacing with 0.27 cum stone chipping 12.5 mm size 0.18 cum and 10mm size 0.09 cum mixed with 14.6 Kg of binder per 10sqm of road surface & rolling complete	2634.97	3915.71	1420
5	Pre-mixed seal with 0.06 cum of fine aggregate and 6.8 Kg of bituminous per 10 Sqm of road surface	2634.97	3915.71	450

उक्त निर्माण कार्य के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माप पुस्तिका में दर्ज निष्पादित निर्माण कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों में Road Distance नहीं दर्शाई गई थी जिसके कारण निष्पादित कार्य प्रमात्रा का सही व पूर्ण लेखा परीक्षण नहीं किया जा सका किन्तु overall अंकेक्षण में पाया गया कि कार्य की मद संख्या 1 व 2 की निष्पादित कार्य प्रमात्रा मद संख्या 4 व 5 की निष्पादित कार्य प्रमात्रा से अधिक थी जो कि वास्तविकता में व्यवहारिक तौर पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि जितनी सड़क में pre-carpet surfacing व pre-mixed seal coat का कार्य हुआ है उससे अधिक preparing surfaces with burshes व applying evenly a primary/track coat का कार्य नहीं हो सकता और यह तथ्य अनुमोदित अनुमान के अनुसार इन मदों की अनुमानित कार्य प्रमात्रा से भी स्पष्ट होता है जहाँ वर्णित इन चारों मदों की कार्य प्रमात्रा एक बराबर है किन्तु इसके विपरीत उक्त निर्माण कार्य में मद संख्या 1 व 2 की

निष्पादित कार्य प्रमात्रा मद संख्या 4 व 5 की समतुल्य निष्पादित कार्य प्रमात्रा से असामान्य रूप से अधिक माप पुस्तिका में दर्ज की गई थी जो कि सही प्रतीत नहीं होती है तथा इसके परिणाम स्वरूप ठेकेदार को निम्न विवरण अनुसार ₹85181/– का अधिक भुगतान किया गया।

	अनुबन्धित मदों की संख्या व विवरण	निष्पादित कार्य प्रमात्रा (Sqm)	कार्य प्रमात्रा जो होनी चाहिए थी (Sqm)	अन्तर	तय भुगतान दर (₹ में प्रति 10 वर्ग मीटर)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
1	Preparing surfaces with brushed for removing caked mud etc. sweeping with brooms and fanning the cleaned surface with gunny bags to remove all loose dirt etc.	5075.11	3915.71	1159.40	43	4985
2	Providing and applying evenly a primary/track coat with the bituminous primer 5 Kg per 10 sqm in straight run	6260.63	3915.71	2344.92	342	80196
			कुल जोड़			**85181**

अतः उपरोक्त अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य सहित स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि ₹85181/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा करवाई जाए।

(ख) तारकोल की अधिक खपत दर्शाने के कारण ठेकेदार से दंड शुल्क की दर से ₹45872/– की वसूलीः–

उक्त (क) में वर्णित अनियमितता के कारण निर्माण कार्य में उपयोग तारकोल की भी अधिक खपत दर्शाई गई जिसके फलस्वरूप अनुबन्ध की clause 42 के अन्तर्गत निम्न विवरण

के अनुसार ₹45872/– की वसूली ठेकेदार से दंड शुल्क (Penal Rate) की दर से अपेक्षित है:–

मदों की सं0 व विवरण	**कार्य प्रमात्रा का उक्त (क) के अनुसार अन्तर**	**तारकोल खपत की दर**	**तारकोल की अधिक खपत की दर्शाई गई मात्रा**	**निर्गम दर (issue rate)**	**दंड शुल्क (Penal Rate)**
Providing and applying evenly a primary/track coat with the bituminous primer 5 Kg per 10 sqm in straight run	2344.92 (Sqm)	5 Kg per 10 Sqm	1172.76 Kg or 7.52 drum	₹6100 per drum	₹45872

अतः वर्णित अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य सहित स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा यथोचित कार्यवाही करके उक्त राशि उचित स्त्रोत से वसूल करके नगर परिषद निधि में जमा करवाई जाए।

(ग) उक्त निर्माण कार्य का आंबटन ₹867017.70 में किया गया था जबकि वास्तविक निष्पादित लागत कुल ₹1657736/– आई तथा इस प्रकार वर्णित निर्माण कार्य में 91.20% की deviation हुई है परन्तु न तो अंकेक्षण को इसका औचित्य ही स्पष्ट किया गया और न ही सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन ही दिखाया गया। अतः निर्माण कार्य की deviated कार्य प्रमात्रा का सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन/स्वीकृति के बिना ठेकेदार को किया गया सारा ही भुगतान अनियमित है जिसे अब यथोचित कार्यवाही करके नियमित करवाया जाए।

(घ) उक्त (क) में वर्णित अनियमितत के कारण इसी ठेकेदार द्वारा कार्यान्वित अन्य समरूप निर्माण कार्य में भी ₹183656/– का अधिक भुगतानः–

निर्माण कार्य का नाम व माप पुस्तिका सं0	मदों की सं0 व विवरण	निष्पादित कार्य प्रमात्रा (Sqm)	कार्य प्रमात्रा जो होनी चाहिए थी (SQM)	अन्तर (Sqm)	तय भुगतान दर (₹ में प्रति 10 वर्ग मीटर)	अधिक भुगतान की राशि ₹ में
Repair & reconstruction of road near degree college W.No. 6 of NHN town (M.B. No. 36507 P-29 to 31)	Providing and applying evenly a primary/track coat with the bituminous primer 5 Kg per 10 sqm in straight run	1660.40	830.20	830.2	342	28393
Repair & reconstruction of road near PWD rest house chambawala ground W.No. 6 of NHN town (M.B. No. 36507 P-32 to 34 &36504P-77 to 80)	Providing and applying evenly a primary/track coat with the bituminous primer 5 Kg per 10 sqm in straight run	1096.84	709.51	387.33	342	13247
C/O road from federation chowk upto library chowk W.No. 6 of NHN	Providing and applying evenly a primary/track coat with the bituminous primer 5 Kg per 10 sqm in straight run	3084.61	2353.41	731.20	342	25007

town (M.B. No. 36507 P-35 to 37)						
Reconstruction & widening of road from library chowk towards court (M.B. No. 36507 P-40 to 42)	Preparing surfaces with burshes for removing caked mud etc. sweeping with brooms and fanning the cleaned surface with gunny bags to remove all loose dirt etc.	1676.98	1252.63	424.35	43	1825
	Providing and applying evenly a primary/track coat with the bituminous primer 5 Kg per 10 sqm in straight run	1958.61	1252.63	705.98	342	24145
C/O road in hospital round W.N. 2 (M.B. No. 36504 P-36 to 38)	Preparing surfaces with burshes for removing caked mud etc. sweeping with brooms and fanning the cleaned surface with gunny bags to remove all loose dirt etc.	4729.82	2365.16	2364.66	43	10168
	Providing and applying evenly a primary/track coat with the bituminous primer 5 Kg per 10 sqm in straight run	4729.82	2365.16	2364.66	342	80871
				कुल जोड़		**183656**

(ङ) तारकोल की अधिक खपत दर्शाने के कारण ठेकेदार से दंड शुल्क की दर से ₹98149/— वसूली न करनाः—

उक्त (क) में वर्णित अनियमितता के कारण उक्त (घ) में वर्णित निर्माण कार्य में भी उपयोग तारकोल की अधिक खपत दर्शाई गई जिसके फलस्वरूप अनुबन्ध की clause 42 के

अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार ₹98149/– की वसूली ठेकेदार से दंड शुल्क (Penal rate) की दर से अपेक्षित हैः–

मदों की सं0 व विवरण	**कार्य प्रमात्रा का उक्त (घ) के अनुसार अन्तर**	**तारकोल खपत की दर**	**तारकोल की अधिक खपत की दर्शाई गई मात्रा**	**निर्गम दर (Issue rate)**	**दंड शुल्क (Penal rate)**
Providing and applying evenly a primary/track coat with the bituminous primer 5 Kg per 10 sqm in straight run	5019.37 sqm	5 Kg per 10 sqm	2509.69 Kg or 16. 09 drum	₹1600 per drum	₹98149

अतः वर्णित अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य सहित स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा यथोचित कार्यवाही करके राशि उचित स्त्रोत से वसूल करके नगर परिषद निधि में जमा करवाई जाये।

(2) निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर आंबटन पत्र की शर्तानुसार ठेकेदार से ₹172953/– दंड शुल्क (penalty) की वसूली न करनाः–

चयनित माह के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों का लेखा परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर न तो उनसे कार्य आंबटन पत्र की शर्त के अनुसार दंड शुल्क (penalty) की वसूली ही की गई थी और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु नियमानुसार समय अवधि की बढ़ौतरी ही प्रदान की गई थी। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा निम्नानुसार ₹172953/– कार्य आंबटन के पत्र में दी गई शर्तानुसार निर्धारित दर से दंड शुल्क की वसूली करके परिषद के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में इस प्रकार की अनियमितता से सम्बन्धित अन्य समस्त ऐसे

प्रकरणों में भी अपेक्षित कार्यवाही/वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

वा0सं0/दि0	माप पुस्तिका/पृ0सं0	निर्माण कार्य का विवरण व ठेकेदार का नाम	निर्माण कार्य आंबटन पत्र संस्था व दिनांक	निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए निश्चित की गई अवधि	निर्माण कार्य आरम्भ/पूर्ण करने की तिथि	निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु लिया गया समय	निर्माण कार्य आंबटन पत्र की शर्त संख्या के अनुसार विलम्ब दंड शुल्क की दर (₹ में)	विलम्ब दंड शुल्क की वसूली योग्य राशि (₹ में)
1	43370 पृ0 67	Sh. Sukhwinder Singh C/O RCC retaining wall at Dumping site W.N. 12 of NHN Town	JEMCN 13/2009 dated 30.12.2009	Two month	6.2.10 4.4.11	14 Month	5318/-per day subject to max. 53182/-	53182 (max.)
2	36507 पृ0 43 से 46	Sh. Arvind Kumar Bansal Repainting of road from Co-op bank up to Library	JE MCN 29 dated 07.05.2010	Two month	06/2011 07/2012	13 Month	8670 per day subject to max. 86702	86702 (max.)
3	36511 पृ0 47 से 51	Sh. Musharaff Durrani Channelisation of Nallah near the H/O Sh. Baldev etc. in H.B. Colony W.N. 5	JE MCN 90 dated 25.09.2012	Two month	20.8.2012 (MB P-47)/12.1.13	5 Month	2501 per day subject to 25014	25014 (max.)
4	36508 पृ0 51 से 53	Sh. Radesh Chaudhary C/O Path from cantt. Area towards upper cantt. Area of Nahan	JE MCN 109 dated 25.09.2012	One month	10.12.12 in progress in 03/2013 (MB P-62)	3 Month	508 per day subject to max 8055	8055(max.)
						कुल जोड़		**172953**

(3) ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों से श्रमकर ₹32205/– की कटौती न करना:–

नगर परिषद के चयनित माह के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों का लेखा परीक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों से निम्नविवरणानुसार ₹32205/– श्रमकर की कटौती नहीं की गई थी जबकि श्रम आयुक्त हिमाल प्रदेश के पत्र संख्या 1–2000 (Lab.)BCWA दिनांक 30.1.2009 के अनुसार कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत भाग इस कटौती के रूप में ठेकेदारों से वसूल किया जाना व H.P Building and other Construction workers welfare Board में जमा करवाया जाना अपेक्षित था जिसे अब उचित स्त्रोत से वसूल कर सम्बन्धित विभाग में निमयानुसार जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	माप पुस्तिका पृ0सं0/ वा0 का विवरण	ठेकेदार एवम कार्य का नाम	कुल भुगतान की राशि (₹ में)	1% की दर से श्रम कर की देय राशि (₹ में)
1	M.B. No. 43370 P-67 to 70	श्री सुखविन्दर सिंह C/O RCC retaining wall at dumping site, ward No. 12, Nahan town	375652	3757
2	M.B. No. 36507 P-43 से 46 तक	श्री अरविन्द कुमार बंसल Repainting of road from Co-op. bank upto Library chowk ward No. 6 Nahan	1657736	16577
3	M.B. No. 43370 P-53 से 85 तक वा0 72 of 22.10.11	श्री प्रकाश धवन C/O Toe wall/wing wall for the protection of slab/culvert at jogoh wali. Ward No. 12, Nahan Town	100968	1010
4	M.B. No. 36508	श्री राजेश कुमार C/O CC pavement from the	298571	2985

	P-48 to 51 तक/वा0 54 ऑफ 22.1.13	H/O Shri Raj Kumar upto the H/O Smt. Kaushlya Devi, nani dk bag, ward No. 12. Nahan Town, RD 00 to 120 mtr.		
5	M.B. No. 36511 P-47 से 51 तक/ वा0 51 ऑफ 22.1.13	श्री मुशरफ्फ दुरानी Channelisation of Nallah near the H/O Sh. Baldev etc. in H.B. Colony W.N. 5 of Nahan Town	232182	2322
6	M.B. No. 36508 P-51 से 53 तक/ वा0 56 ऑफ 22.1.2.13	श्री राकेश चौधरी C/O Path from canntt. Area towards upper cantt. Area of Nahan Town	72674	727
7	M.B. No. 36511 P-29 से 32 तक/ वा0 53 ऑफ 22.1.13	श्री संजीव शर्मा C/O retaining wall nesar M.C. Qtr. Of Sh. Nand Lal, Mali in ward No. 2 of Nahan Town	97968	980
8	M.B. No. 36511 P-44 से 47 तक/वा0 61 ऑफ 23.1.13	श्री महिपाल सोलंकी C/O retaining wall near the H/O SH. Malhotra etc. in mohalla joshian in ward No. 7 of Nahan Town	87462	875
9	M.B. No. 36511 P-35 से 36 तक/वा0 52 ऑफ 22.1.13	श्री विशाल कुमार C/O path from Rain Shelter main Road towards Billywala ward No. 13, Nahan Town	297213	2972
		कुल योग		**32205**

(4) निर्माण कार्य की प्रतिस्थापित मदों के कार्यान्वित करने हेतु संविदाकार को अनुमानत ₹24884/– का अधिक भुगतानः–

ठेकेदार का नामः– सुखविन्दर सिंह, चीरांवाली, नाहन

अनुबन्ध/आंबटन पत्र संख्या JE MCN/13/2009 दिनांक 20.12.2009

कार्य का नाम C/O Rcc Retaining wall at Dumping site W.No. 12 of Nahan Town

उक्त निर्माण कार्य का आंबटन HPSR 1999 के ऊपर 56.463% प्रीमियम पर ₹531824.55 पर हुआ था। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि Dnit अनुसार मद संख्याः 3" P/L CC 1:4:8in F/D & मद संख्या 5" P/L 1:1 1/2:3 (a) in F/PL" (b) wall any thickness के कार्यान्वयन हेतु आमन्त्रित दरों के विरूद्ध संविदाकार द्वारा प्रस्तावित व स्वीकृत दरें क्रमशः ₹1600 ₹2750 व ₹2750 प्रति वर्ग मीटर थी परन्तु वास्तविकता में ये मदें कार्यान्वित ही नहीं की गई बल्कि इसके स्थान पर इन मदों का कार्यान्वयन इनकी CC ratio बदल कर (जैसा कि माप पुस्तिका संख्या 43370 पृ0सं0 64 से 66 तक व माप पुस्तिका संख्या 43356 पृष्ठ संख्या 67 पर दर्ज रिकार्ड प्रविष्टियों से स्पष्ट होता है) क्रमशः 1:5:10 व 1:2:4 में किया गया। इस प्रकार कार्यान्वित की गई प्रतिस्थापित मदों की भुगतान दर अनुबन्ध की clasue 12 के अनुसार विनियमित की जानी अपेक्षित थी किन्तु ऐसा न करके वर्णित प्रतिस्थापित मदों का भी, ठेकेदार को उन द्वारा मूल मदों हेतु Quoted दरों क्रमशः ₹1600 व ₹2750 प्रति वर्ग मीटर पर ही भुगतान कर दिया गया जिसके कारण निम्नविवरणानुसार ठेकेदार को लगभग ₹24884/– का अधिक भुगतान किया गया।

द्वितीय व अन्तिम चलत बिल के Abstract of cost के अनुसार कार्य की मद सं0	निर्माण कार्य की निष्पादित कार्य प्रमात्रा (घन मीटर में) (माप पुस्तिका संख्या 43370 पृष्ठ 67 से 71)	दर जिस पर ठेकेदार को भुगतान किया गया (₹ प्रति घन मीटर में)	दर जिस पर ठेकेदार को भुगतान किया जाना चाहिए था (₹ प्रति घन मीटर में)	भुगतान दर में अन्तर (₹ प्रति घन मीटर में)	अधिक भुगतान की राशि ₹ में
3	12.25	1600	1600x1048.7/1181.8/ 1181.8=1419.8	180	2205

			days 1420		
5 (a)	30.62	2750	2750x1740.2/ 2014.4=2375.67 say 2376	374	11452
5 (b)	33.02	2750	2750x1765/2014. 40=2409.53 say 2410	340	11227
			कुल जोड़		**24884**

अतः नियमानुसार उक्त वर्णित प्रतिस्थापित मदों की भुगतान दरों को अपने स्तर पर विश्लेषण करके सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाया जाये तथा इसके फलस्वरूप वास्तविक अधिक भुगतान की राशि की गणना करके उसे उचित स्त्रोत से वसूल करके नगर परिषद निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(5) नगर परिषद द्वारा ठेकेदारों से निर्माण कार्य हेतु जारी सीमेन्ट बैंगो की विभागीय आपूर्ति की एवज में ₹15450/— की कम वसूलीः—

सीमेन्ट भण्डार के लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में नगर परिषद द्वारा ठेकेदारों के बिलों से निर्माण कार्य हेतु जारी सीमेन्ट बैगों की विभागीय आपूर्ति की एवज में ₹15050/— की राशि कम वसूल की गई थीः—

ठेकेदार/निर्माण कार्य का नाम	इंडेट संख्या व दिनांक/जारी सीमेन्ट बैग	कुल सीमेन्ट बैग जारी	वसूल किये गए सीमेन्ट बैग	सीमेन्ट बैग की वसूली में अन्तर	निर्गम दर प्रति बैग (₹ में)	कम वसूली गई राशि (₹ में)	निर्माण कार्य रजिस्टर सं0/पृ0सं0	माप पुस्तिका सं0/पृ0सं0
श्री महिपत सोलंकी/C/O R/Wall near H/O Sh. Malhotra, W.No. 7 of Nahan Town	003085/14.11.11 (20) 003141	60	40	20	250	5000	14P-52	36511 P-44 to 47

	27.11.12 (40)							
श्री महिपत सोलंकी C/O Drain near the H/O Union Prasad, W.No. 4 of Nahan Town, HB colony	3000 1.4.11 (25) 3057 3.5.11 (50)	75	60	15	210	3150	13 P-100	
श्री राहुल पुंडीर C/O C.C. pavement from the H/O Smt. Kaushlaya Devi upto the H/O Sh. Kamal Sandhu Nam ka Baag, W.No. 12, Nahan Town, RD 120 to 240	3173 11.1.12 (100)	100	80	20	250	5000	2P-42	36508 P-34 to 37
श्री महिपत सोलंकी C/O drain alongwith main road opp. Post office, W.No. 2, Nahan Town	3120 31.5.12 (55)	55	50	5	250	1250	14 P-32	
श्री महिपत सोलंकी C/O path near the H/O Sh. Ravinder Singh etxc. W.No. 5 Mohalla Anandpur, Nahan Town	3067 21.5.11 (55) /TFR/Received from P-10 of WR-13 02.06.11 (15)	70	65	5	210	1050	14 P-4	36504 P-62 to 65
	कुल जोड़					**15450**		

अतः कम वसूल की गई राशि बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके नगर परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(6) संविदाकार से ₹6250/— की कम वसूलीः—

श्री संजीव कुमार, ठेकेदार को निर्माण कार्य C/O covered shed at cremation ground in nahan town हेतु निम्न विवरण अनुसार 200 सीमेन्ट बैगों की विभागीय आपूर्ति की गई थीः—

इंडेट संख्या	दिनांक	आपूर्ति किए गए सीमेन्ट बैंगों की सं0
30105	21.3.12	50
3118	29.5.12	50
3123	28.7.12	100
	कुल जोड़	**200**

उक्त आपूर्ति किये गये सीमेन्ट की मात्रा में ठेकेदार से केवल 175 बैग की ही वसूली दूसरे व अन्तिम चलत बिल तक ₹250/– प्रति बैग की दर से दिनांक 14.11.12 को की गई (माप पुस्तिका संख्या 36511, पृष्ठ संख्या 17 से 22 तक) शेष बचे 25 बैग सीमेन्ट की मात्रा को नियमानुसार अनुबन्ध की धारा 42 (ii) के प्रावधानानुसार ठेकेदार को नगर परिषद को लौटाया जाना था अन्यथा इसकी वसूली निर्गम रेट के दोगुना दर से ठेकेदार से की जानी अपेक्षित थी परन्तु नियमों के विपरीत ठैकेदार से केवल निर्गम दर से ही ₹6250/– (250X25 बैग) की वसूली 8 माह बाद दिनांक 18.7.13 को इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित जमा प्रतिभूति राशि को लौटाते समय समायोजन के रूप में की गई थी जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ठेकेदार को नियमों को दर किनार करते हुए ₹6250/– का अवांन्छित लाभ पहुँचाया गया क्योंकि वास्तविक में ठेकेदार से उक्त वर्णित नियमानुसार ₹12500/– (25 बैगX₹250X2) की राशि वसूल की जानी अपेक्षित थी। अतः अब कम वसूल की गई राशि ₹6250/– की उचित स्त्रोत से वसूली करके नगर परिषद निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(7) माप पुस्तिकाओं में गलत गणनाओं के कारण ठेकेदारों को ₹4953/– का अधिक भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में माप पुस्तिकाओं में कार्यान्वित निर्माण कार्य की प्रमात्रा की गणनाओं में त्रुटियाँ होने के कारण ठेकेदारों को निम्नानुसार ₹4953/– का अधिक भुगतान किया गया थाः–

माप पुस्तिका/पृ0सं0	कार्य का विवरण व ठेकेदार का नाम	कार्य मद व माप का विवरण	माप पुस्तिका में त्रुटिपूर्वक ली गई प्रमात्रा	वास्तविक निर्माण कार्य प्रमात्रा	अन्तर	भुगतान की दर	अधिक भुगतान की राशि
36503 पृ0 93	Sh. Arvind Kumar Bansal/Repainting of road from Co-op bank up to Library	Preparing surfaces with brushers for removing caked mud etc. (item No. 1) 3.80x1.20+1.20/2	5.47 Sqm	4.56 Sqm	0.91 Sqm	₹43 per 10 Sqm	₹3.91
–यथोपरि–	-do-	Providng and appling evenly a primary/track coat with bituminous primer (item No. 2) 3.80x1.20+1.20/2	-do-	-do-	-do-	₹342 per 10 Sqm	₹31.12
–यथोपरि–	-do-	5 CM consolidated thick premixed bituminous macadam surfacing (item No. 3) 3.80x1.20+1.20/2	-do-	-do-	-do-	₹2940 per 10 Sqm	₹267.54
36504 पृ0 88	-do-	Preparing surfaces with brushers for removing caked mud etc. (item No. 1)7.00x 3.80x4.40/2	41 Sqm	28.70 Sqm	12.3 Sqm	₹43 per 10 Sqm	₹52.89

–यथोपरि–	-do-	Providng and appling evenly a primary/track coat with bituminous primer (item No. 2)7.00 3.80x1.20+4.40/2	-do-	-do-	-do-	₹342 per 10 sqm	₹420.66
–यथोपरि–	-do-	2 CM consolidated thick single course precarpet surfacing (item No. 4) 7.00 3.80x1.20+4.40/2	-do-	-do-	-do-	₹1420 per 10 Sqm	₹1746.60
–यथोपरि–	-do-	Premixed seal coat (item No. 5) 7x3.80+4.40/2	-do-	-do-	-do-	₹450 per 10 Sqm	₹553.50
36508 पृ0 45	Sh. Rajesh Kumar/C/O CC pavement from the	P/L CC 1:2:4 (item No. 4)	24.85 Cum	24.50 Cum	0.35 Cum	₹4200 per Cum	₹1470
36509 पृ0 19	Sh. Musharaff Durrani/Channelisation of Nallah near the H/O Sh. Baldev etc. in H.B. Colony W.N. 5	P/L CC 1:5:10 (item No. 2)	11.81 Cum	11.67 Cum	0.14 Cum	₹2905 per cum	₹406.70
			कुल जोड़				**₹4952.92**

अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उपरोक्त ₹4953/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाएं।

(8) अनुबंध की शर्तानुसार ठेकेदार से ₹8600/– खाली सीमेन्ट बोरियाँ वापस जमा न करवाने के एवज में वसूली न करना:–

निर्माण कार्य अनुबन्ध की शर्त, खण्ड 10–E(i) के अनुसार ठेकेदार कम से कम 90% उपयोगी खाली सीमेन्ट की बोरियाँ वापस जमा करवाएगा अन्यथा ठेकेदार से ₹125.58 प्रति 100 बोरियों की दर से मुआवजा वसूल किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि न तो ठेकेदार में उपयोगी खाली सीमेन्ट की बोरियाँ वापिस जमा करवाई थी और नही उनसे मुआवजा ही वसूल किया गया था। नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार विभिन्न ठेकेदारों को अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्माण कार्यों हेतु 7584 सीमेन्ट की बोरियों की आपूर्ति विभागीय भण्डार से की गई थी तथा उक्त वर्णित शर्तानुसार उनसे निम्नलिखित ₹8600/– की वसूली देय बनती थी:–

अवधि	**सीमेन्ट भण्डार रजिस्टर के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु जारी सीमेन्ट बोरियों की सं0**	**खाली सीमेन्ट बोरियों की एवज में वसूली जाने वाली राशि (₹ में)**	**नगर परिषद द्वारा खाली सीमेन्ट बोरियों की एवज में वसूली गई राशि (₹ में)**	**कम वसूली गई राशि (₹ में)**
1.4.11 से 31.3.13	7584	8600(7584X90% ₹1.26 प्रति बैग)	शून्य	8600

अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹8600/– उपयुक्त स्त्रोत से वसूल करके परिषद के खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(9) ठेकेदारों को निर्माण कार्यों बिलों के भुगतान में से नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती न करना:–

चयनित माह के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों का लेखा परीक्षण करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे की रेत, बजरी, पत्थर आदि की आपूर्ति ठेकेदार अपने स्त्तर पर ही कर रहे थे परन्तु इन सामग्रियों की आपूर्तिकार द्वारा ठेकेदार से कटौती की गई रायल्टी के समर्थन में जारी एम0 फार्म न तो ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे थे और न ही नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्य के भुगतान में से नियमानुसार निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती ही की जा रही थी जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार, उद्योग

विभाग के पत्र संख्या इण्ड–II (एफ) दिनांक 6.05.2006 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जानी अपेक्षित थी। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए यह प्रकरण परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है तथा भविष्य में रायल्टी की कटौती नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए।

(10) बिना औपचारिकता पूर्ण किए बगैर ₹85725/– का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों जे0सी0बी0 से करवाने के लिए जे0सी0बी0 को हायर करने हेतु सीमित कुटेशन्ज आमन्त्रित की गई तथा नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या 22 दिनांक 23.07.2012 द्वारा श्री राकेश चौधरी के पक्ष में न्यूनतम दर ₹750 प्रति घंटे की दर से अनुमोदित किए गए तथा इस दर पर उनसे उनसे निम्न विवरणानुसार ₹85725/– विभिन्न कार्य करवाए गएः–

क्रमांक	कार्य का नाम विवरण	कार्य हेतु जे0सी0बी0 द्वारा लिया गया समय (घंटे में)	भुगतान की दर (₹ प्रति घंटे में)	ठेकेदार को किए गए भुगतान की राशि (₹ में)	माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ	वा0/चैक संख्या
1	Supply of JCB Machine for Repair of CC path from CMO offie upto Fisheries office W.N. 2 Sh. Cutting & Excavation of earth work and leveling of material upto 100 mtr (1st R/Bill)	5	750	3750	36511 P-39 & 40	57 of 22.01.13 003141 date 22.1.13
2	Supply JCB Machine for levelling of	4	750	3000	36511 P-38 & 39	58 of 22.01.13 003147 dated

	Dumping Ground Sh. Levelling of Malba & Garbage and Dressing of Dumping site (1st R/bill)					22.01.13
3	Supply of JCB Machine for C/O Parking at Mohalla Naya Bazar Nahan Sh. Cutting excavation in earth work & loading of Truck/Tractor (2nd R/Bill)	88.30	750	66225	36511 P-36 & 37	59 of 22.01.13 00147 dated 22.01.13
4	Supply of JCB Machine for C/O Road from M.C. Ground at Ram Kundi (2nd R/Bill)	17	750	12750	36511 P-37 & 38	60 of 22.01.13 003150 dated 22.01.13
	कुल जोड			**85725**		

उपरोक्त कार्य के निष्पादन में निम्नलिखित अनियमितता पाई गई जिनका औचित्य स्पष्ट करते हुए अनियमित तौर पर किये गये व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित किया जाए तथा भविष्य में हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली खण्ड–1 के नियम 16.5 (बी) व सी0पी0डब्लयू0डी0 द्वारा निर्माण कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर ही कार्य निष्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(क) निर्माण कार्य से सम्बन्धित न तो प्रशासनिक अनुमोदन, व्यय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति व अनुमोदित अनुमान अंकेक्षण में उपलब्ध नही किये गये।

(ख) न तो निर्माण कार्य आंबटन पत्र और न ही ठेकेदार से किया गया अनुबन्ध अंकेक्षण को उपलब्ध करवाया गया।

(ग) निर्माण कार्य से सम्बन्धित दर न्यायोचित्य व निष्पादित कार्य प्रमात्रा का कोई विवरण माप पुस्तिका में दर्ज प्रविष्टियाँ अंकेक्षण में नहीं दिखाई गई।

(घ) ठेकेदार के बिलों से प्रतिभूति राशि व अन्य वैधानिक कटौतियाँ नहीं की गई।

(11) नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताओं तथा विहित प्रक्रिया पूर्ण किए बिना ही निर्माण कार्यों का निष्पादन किए जाने सम्बन्धी अनियमितताएंः–

चयनित मासों में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों की पड़ताल के दौरान पाया कि निर्माण कार्यों के आंबटन से लेकर उनके पूर्ण होने तक नियमानुसार कई आवश्यक औपचारिकताएं तथा विहित प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं की जा रही है जैसे कि निर्माण कार्यों के विभागीय औचित्य तैयार न करना, टैन्डर खोलते समय लिफाफों पर टैन्डर खोलने की तिथि बारे सत्यापन न किए जाना, कार्य आंबटन पत्र पर कार्य के निष्पादन से सम्बन्धित नियमों/शर्तों का पूरा न भरना, निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कोन्ट्रेक्टर लेजर का नियमानुसार सही अनुरक्षण न किए जाना, माप पुस्तिकाओं में कटिंग्स/ओवर राईटिंग का सत्यापन न किया जाना, कई माप पुस्तिकाओं में निर्माण कार्य की समाप्ति पर नियमानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र न दिए जाना, निर्माण कार्य में उपयोग हुई सामग्री कि खपत विवरणी तैयार न करना, आंकलन को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ही निर्माण कार्य करवाना, प्रत्यर्पणीय प्रतिभूतियों के प्रतिदाय के समय नियमानुसार सत्यापन न किये जाने बारे आदि। नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताओं तथा विहित प्रक्रिया का पूर्ण न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित किया जाए। मामला परिषद के उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

21 (1) इंडेट का संशयपूर्ण निरस्तीकरनः–

सीमेन्ट/स्टील के भण्डार लेखें के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इंटेड संख्या 3051, जिसकी केवल तीसरी एवं अन्तिम प्रतिलिपि ही मौजूद थी, को निरस्त किया गया था जबकि इंटेड का सत्यापन भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया था। इन वर्णित परिस्थितियों के कारण इंटेड का निरस्तीकरन संशयपूर्ण प्रतीत होता है तथा इसके दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस प्रकरण में उचित छानबीन कर यथोचित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(2) क्रय किये गये सीमेन्ट बैंगों की भण्डार लेखों में कम मात्रा लेने के कारण ₹972/– की हानिः–

सीमेन्ट भण्डार के लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में नगर परिषद द्वारा अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड (यूनिट नालागढ़) से जो सीमेन्ट क्रय किया गया था उसकी मात्रा भण्डार रजिस्टर में कम दर्शाई गई थी जिसके कारण नगर परिषद को ₹967/– की हानि हुईः–

क्र0सं0	फर्म का बिल संख्या व दिनांक	क्रय की गई मात्रा/राशि (₹ में)	भण्डार रजिस्टर में ली गई मात्रा	अन्तर	हानि की राशि (₹ में)	सीमेन्ट भण्डार रजिस्टर–4 पृ0सं0
1	9244003655 दिनांक 26.5.12	300 बैग 53918	299 बैग	1 बैग	180	7
2	9244015429 दिनांक 1.10.12	300 बैग 59378	299 बैग	1 बैग	198	18
3	9244021849 दिनांक 7.11.12	240 बैग 47502	239 बैग	1 बैग	198	15
4	9244021917 दिनांक 8.11.12	300 बैग 59378	298 बैग	2 बैग	396	15
		कुल जोड़			**972**	

अतः उपरोक्त वर्णित अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके नगर परिषद निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(3) ₹145248/– परिषद की राशि को अवरूद्ध करनाः–

भण्डार लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद ने बिल संख्या 1747 दिनांक 10.02.2010 द्वारा मैसर्ज साबू टोर प्रा0लि0 त्रिलोकपुर रोड कालाअम्ब से ₹34150/– प्रति मिट्रिक टन+कर की दर से 10 एमएम का 6000 किलोग्राम तथा 12 एमएम का 4000

किलोग्राम स्टील ₹355910/– में क्रय किया गया था। इसमें 10 एमएम का 2819 किलोग्राम तथा 12 एमएम का 3099 किलोग्राम अर्थात कुल 5918 किलोग्राम=59**%** सरिया ही प्रयोग किया गया था वह भी 3 वर्षों की लम्बी अवधि में और शेष 4082 किलोग्राम=41**%** सरिया, जिसका मूल्य ₹145248/– था, दिनांक 31.3.2013 तक अनुपयोग पड़ा था। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट विदित होता है कि नियमों के प्रतिकूल बिना सोचे समझे तथा बिना योजना के भारी मात्रा में स्टील क्रय करके धन की कर्मी से जूझ रही नगर परिषद के पूंजी को अवरूद्ध किया गया जोकि गम्भीर अनियमितता है। दूसरे इतनी लम्बी अवधि तक स्टील के स्टॉक में रहने के कारण जहाँ गुणवता प्रभावित होती है वहीं इसके pilferage तथा दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त क्रय का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसमें बरती गई अनियमितता को उच्च सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया जाए व अनुपयोग पड़े स्टील की मात्रा को नियमानुसार निर्माण कार्य में शीध्र उपयोग किया जाए तथा भविष्य में आवश्यकता के अनुरूप ही सामान को क्रय करके स्टोर भण्डार नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(4) एक समय में एक ही इन्डेट से संविदाकार को 308 ड्रम की भारी मात्रा में बिचुमेन (Bitumen) भण्डार से जारी करने बारे अनियमितताः–

भण्डार लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अरविन्द कुमार बंसल, ठेकेदार का इंडेट संख्या 3080 दिनांक 05.10.2011 द्वारा उन्हें आंबटित विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 308 ड्रम बिचुमेन भण्डार से एकमुश्त जारी किए गए जो कि भण्डार नियमों की सरासर अवहेलना है क्योंकि भण्डार नियमों के अनुसार जरूरत के हिसाब से समय–समय पर तीन दिनों की जरूरत की दर से स्टॉक जारी किया जाना अपेक्षित है न कि एकमुश्त में सम्पूर्ण मात्रा ताकि जारी स्टॉक का दुरूपयोग न हो तथा चोरी इत्यादि की सम्भावना से भी बचा जा सके और कार्य छोड़ने की स्थिति में इसकी वसूली आदि का भी धरोहर/प्रतिभूति राशि से समायोजन हो सके। इस अनियमितता को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी सें नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में भण्डार नियमों की सही ढ़ंग से अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाए।

22 ₹1294700/– की पैन्शन की बकाया राशि का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि 01.01.2006 से पैन्शन संशोधन बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति तथा आदेशों से लागू किया गया तथा इसके परिणाम स्वरूप वाउचर संख्या 67 दिनांक 24.01.13 द्वारा ₹1294700/– की बकाया राशि का भी पैन्शनरी को भुगतान कर दिया गया जोकि अनियमित है। इसी प्रकार पैन्शनरों को 01.01.2006 से संशोधित दर पर मासिक पैन्शन भी अदा की जा रही थी तथा बिना सक्षम अधिकारी के आदेशों के संशोधित दर पर किया जा रहा ऐसा भुगतान भी अनियमित है। इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए अब इसे सक्षम अधिकारी, निदेशक, शहरी निकाय की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 पैन्शन एवं ग्रेंज्युटी फण्डः–

पैन्शन फंड एवं ग्रेज्युटी फंड (Pension & Gratuity Fund)

अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित पैन्शन फंड तथा ग्रेज्युटी फंड की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्ति (₹)	प्राप्त ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान भुगतान (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2011–12	264132	7916371	11827	8192330	8179203	13127
2012–13	13127	8010198.71	10786	8034111.71	7990270	43841.71

दिनांक 31.3.13 को बैंक समाधान विवरणः–

दिनांक 31.3.13 को रोकड़ वही के अनुसार पैन्शन एवं ग्रेच्युटी फंड का शेष =₹43841.71 (11614+32227.71)

दिनांक 31.3.13 को बैक पास बुक के अनुसार पैन्शन एवं ग्रेच्युटी फंड का शेष =₹43841.71

दिनांक 31.3.13 को रोकड़ वही एवं बैंक पास बुक के शेष में अन्तर=शून्य

चयनित माह के व्यय एवम अदायगियो का अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख तथा सूचनाओं के साथ लेखा परीक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें एवम त्रुटियाँ पाई गई जिनका समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क) पैन्शन एवम उपदान निधि में ₹189923/– नियमानुसार देय राशि से अधिक का अभिदान जमा करनाः–

(i) वाउचर संख्या 36 दिनांक 07.01.13 ₹136542/–

गणना में त्रुटि के कारण उपदान अभिदान की कुल राशि ₹136542/– की अपेक्षा ₹135718/– बनती थी इस तरह ₹824/– का नगरपालिका निधि से पैन्शन एवम उपदान निधि को चैक संख्या 0449187 दिनांक 07.01.13 द्वारा अधिक भुगतान किया गया।

(ii) वाउचर संख्या 36 व 37 दिनांक 07.01.13 ₹364299 व ₹136542/–

H.P. Municipality Employees (Pension, gratuity & GPF) Rules, 2000 के नियम 3 (3) में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका को हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्तर का 12**%** पैन्शन तथा 5**%** ग्रेच्युटी का अभिदान पैन्शन एवम उपदान निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित था परन्तु उक्त वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अभिदान की गणना वेतनमान के अधिकतर की अपेक्षा इसमें ग्रेड वेतन जोड़कर की गई थी जो कि उक्त नियमों में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस अनियमितता के कारण निम्न विवरण अनुसार नगरपालिका निधि से पैन्शन एवम उपदान निधि में ₹42847/– का अधिक भुगतान किया गयाः–

ग्रेड पे	कर्मचारियों की सं0 जिनका अभिदान जमा किया गया		5**%** की दर से अधिक जमा की गई गेच्युटी अभिदान की राशि (ग्रेड पे xकर्मचारी	12**%** की दर से अधिक जमा की गई पैन्शन अभिदान की राशि (ग्रेड पे xकर्मचारी	कुल अधिक जमा अभिदान की राशि (₹ में)

			संख्या x5% ₹ में)	संख्या x5% ₹ में)	
	पैन्शन अभिदान	ग्रेच्युटी अभिदान			
1300	51	85	5525	7956	13481
1400	60	60	4200	10080	14280
1650	3	3	248	594	842
1900	9	12	1140	2052	3192
1950	9	9	878	2106	2984
2400	6	6	720	1728	2448
3000	1	1	150	360	510
3600	1	2	360	432	792
4200	5	5	1050	2520	3570
4400	1	1	220	528	748
कुल	146	184	14491	28356	42847

(iii) अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों का भी पैन्शन व उपदान निधि में अंशदान जमा करना:–

H.P. Municipality Employees (Pension, gratuity & GPF) Rules, 2000 के नियम 3 (3) में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका को हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्तर का 12% पैन्शन तथा 5% ग्रेच्युटी का अभिदान पैन्शन एवम उपदान निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-II(130/10) 7/2000 दिनांक 20.12.2003 द्वारा जारी अनुदेशानुसार नगरपालिका द्वारा उक्त वर्णित अभिदान कुल स्वीकृत पदों, चाहे भरी हो या खाली हो का जमा करवाया जा रहा था जिसमें अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी भी शामिल थे चूंकि नगरपालिका द्वारा नगर पालिका निधि से अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों का अंशदान अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) निधि में अलग से जमा करवाया जा रहा था तथा इन कर्मचारियों को पैन्शन एवम उपदान भी नियमानुसार देय नही है इसलिए

नियमों की सही भावना के दृष्टिगत अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों का 12% पैन्शन तथा 5% ग्रेच्युटी का अभिदान पैन्शन एवम उपदान निधि में जमा करवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस कारण निम्न विवरण अनुसार नगरपालिका निधि से पैन्शन एवम उपदान निधि में ₹146252/– का अधिक भुगतान किया गया। अतः यह मामला उच्च सक्षम प्राधिकारियों के ध्यान में नियमानुसार उचित समाधान करने हेतु लाया जाता है।

वा0सं0 व दिनांक	पे बैंड+ ग्रेड पे (₹ में)	CPS कर्मचारियों की संख्या जिनका अभिदान जमा किया गया		12% की दर से अधिक जमा की गई पैन्शन अभिदान की राशि (पे बैड/ग्रेड पेxकर्मचारी संख्याx12%)	5% की दर से अधिक जमा की गई ग्रेच्युटी अभिदान की राशि (पे बैड/गेड पेxकर्मचारी संख्या x5%)	कुल अधिक जमा अभिदान की राशि (₹ में)
		पैन्शन अभिदान	ग्रेच्युटी अभिदान			
2 ऑफ 01.10.11	5910–20200	2	2	4848	2020	6868
8 ऑफ 01.10.11	10300–34800 4900–10680	1 1	1 1	4176 1282	1740 534	5916 1816
9 ऑफ 01.10.11	4900–10680	12	12	15384	6408	21792
11 ऑफ 01.10.11	5910–20200	2	2	4848	2020	6868
13 ऑफ 01.10.11	4900–10680	21	21	26922	11214	38136
2 ऑफ 01.01.13	5910–20200+1900GP	–	2	–	2210	2210
8 ऑफ 01.01.13	10300–34800+4200 GP	– –	1 1	– –	1950 599	1950 599

	4900–10680+1300 GP					
9 ऑफ 01.01.13	4900–10680+1300 GP	18	30	25884	17970	43854
11 ऑफ 01.01.13	5910–20200+1900 GP	1	2	2652	2210	4862
13 ऑफ 01.01.13	4900–10680+1300 GP	–	19	–	11381	11381
	कुल जोड़	**58**	**94**	**85996**	**60256**	**146252**

(1) दिनांक 01.01.06 से संशोधित पैन्शन लाभों के फलस्वरूप पैन्शन भोगियों को देय पैन्शन की बकाया राशि ₹166261/– का अधिक गणना व ₹153670/– का गलत भुगतानः–

चयनित माह 1/2013 के वेतन वाउचर संख्या 67 दिनांक 24.1.2013 ₹1294700 के लेखा परीक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दिनांक 01.01.06 से लागू संशोधित पैन्शन के फलस्वरूप पैन्शन भोगियों को जो पैन्शन की बकाया राशि अवधि 01.01.06 से 30.09.12 तक देय बनती थी उसे निम्न प्रकरणों में गणनाओं में पाई गई त्रुटियों के कारण वास्तविकता से अधिक आंका गया था। माह जनवरी, 2013 में पैन्शन भोगियों को वाउचर संख्या 67 दिनांक 24.01.13 द्वारा कुल देय बकाया राशि के 30% के बराबर ₹1294700/– का भुगतान किया गया तथा उक्त वर्णित त्रुटियों के कारण निम्न प्रकरणों में ₹153670/– का अधिक भुगतान किया गया।

क्रमांक	पैन्शन भोगी का नाम	आंकी गई कुल बकाया राशि (₹ में)	वास्तविक बकाया राशि जो होनी चाहिए थी (₹ में)	30% बकाया राशि जिसका भुगतान किया	30% बकाया राशि जो वास्तविक में देय थी (₹ में)	अन्तर अधिक आंकी गई व भुगतान की गई राशि का

				गया (₹ में)			
						कुल बकाया राशि (₹ में)	30% बकाया राशि (₹ में)
1	श्रीमती इकबाल बेगम पत्नी स्वर्गीय श्री शमीम परवेज, M.H.S.	100958	73281	30287	21984	27677	8303
2	श्रीमती माया देवी पत्नी स्वर्गीय श्री राम कृष्ण, सेवादार	82466	81304	24739	24391	1162	348
3	श्री चेत राम, सफाई कर्मचारी	54527	53261	16358	15978	1266	380
4	श्रीमती कला देवी पत्नी स्वर्गीय श्री चम्बेल सिंह, बेलदार ;थ्व्द्ध	82466	81304	24739	24391	1162	348
5	श्री दुखी राम, माली	82466	81304	24739	24391	1162	348
6	श्रीमती कृष्णी देंवी पत्नी स्वर्गीय श्री वैसाखी राम, माली	88044	76979	शून्य	—	11066	शून्य
7	श्री छांगा राम, बेलदार	81282	53420	24370	16026	27862	8344
8	श्रीमती कविता पंत पत्नी स्वर्गीय श्री विनोद पंत, पुजारी	118490	11660	35547	34980	1890	567
9	श्रीमती रूचि शर्मा	45049	44018	13515	13205	1031	310

	पत्नी स्वर्गीय श्री संजय शर्मा, ड्राफ्टसमैन						
10	श्रीमती शहनाज चौहान पत्नी स्वर्गीय श्री लिआकत अली, कनिष्ठ अभियन्ता	161198	141721	55722	42516	19477	13206
11	श्रीमती शांति, सफाई कर्मचारी	215223	142719	70439	42816	72504	27623
12	श्री अली शेर, अधीक्षक,	134453	134453	49336	40336	शून्य	9000
13	श्रीमती चंदर कांता पत्नी स्वर्गीय श्री जोगिन्दर सिंह, सफाई पर्यवेक्षक	82249	82249	28192	24676	शून्य	3516
14	श्रीमती शीला नं0 1, सफाई कर्मचारी	105810	105810	36280	31743	शून्य	4537
15	श्री लालचन्द, जमादार	49414	49414	23463	14824	शून्य	8639
16	श्रीमती ऊषा गुप्ता, कनिष्ठ सहायक	72737	72737	31687	21821	शून्य	18505
17	श्रीमती जस्वन्ती, सफाई कर्मचारी	133028	133028	47254	39908	शून्य	7346
18	श्रीमती शकुन्तला, सेवादार	91871	91871	34778	27561	शून्य	7217
19	श्री अमर नाथ, सफाई कर्मचारी	36912	36912	16973	11074	शून्य	5899
20	श्री जगदीश, जमादार	35874	35874	18591	10762	शून्य	7829
21	श्री सत्याराम, चौकीदार	27755	27755	15470	8327	शून्य	7143

22	श्रीमती मालती देवी, सफाई कर्मचारी	49931	49931	23247	14979	शून्य	8268
23	श्रीमती तारा देवी, सफाई कर्मचारी	93512	93512	34048	28054	शून्य	5994
					कुल जोड़	**166261**	**153670**

अतः उपरोक्त वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा गलत आंकी गई बकाया राशि को सही करके अधिक अदा की गई 30**%** बकाया राशि की किश्त को भविष्य में अदा की जाने वाली शेष बकाया राशि में से समायोजित करने के साथ–साथ कुल देय बकाया राशि का सही भुगतान भी सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(2) श्रीमती सुषमा यादव पत्नी स्वर्गीय श्री नरेन्द्र प्रकाश, बेलदार को परिवारिक पैन्शन की बकाया ₹5254/– का अधिक भुगतानः–

श्रीमती सुषमा यादव को निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या UD-P(B)(10) 1145/11-24753 दिनांक 19.11.11 P.P.O No. 1022/2011–12 द्वारा दिनांक 24.5.11 से ₹4690/– प्रति माह की दर से पारिवारिक पैन्शन स्वीकृत की गई थी। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन द्वारा अवधि 24.5.11 से 31.10.11 तक 5 माह 8 दिन की पारिवारिक पैन्शन की बकाया राशि का भुगतान करने की अपेक्षा 6 माह का भुगतान ₹42492/– चैक संख्या 037605 दिनांक 24.1.13 द्वारा हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक नाहन में उनके बचत खाते में जमा करवा कर किया गया जबकि निम्न विवरण अनुसार उन्हें केवल ₹37238/– ही देय बनते थेः–

अवधि	**मूल पारिवारिक पैन्शन (₹ में)**	**मंहगाई राहत की दर व राशि (₹ में)**	**कुल देय पारिवारिक पैन्शन (₹ में)**	**बकाया देय राशि (₹ में)**	**अदा की गई पारिवारिक पैन्शन की राशि (₹ में)**	**अधिक अदा की गई राशि (₹ में)**

24.5.11 से 31.10.11 तक (5 माह 8 दिन)	4690	2392 (51%)	7082 प्रति माह	7082X5 माह 8 दिन=37238	7082X6 माह =42492	5254

अतः अब अधिक अदा की गई पारिवारिक पैन्शन की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) पैन्शन व उपदान निधि में अभिदान के विलम्ब से जमा करने पर दंड ब्याज की वसूली न करनाः–

H.P. Municipality Employees (Pension, Gratuity & GPF) Rules, 2000 के नियम 4 (2) में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका संवितरण अधिकारी को हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्त्तर का 12% पैन्शन तथा 5% ग्रेच्युटी का देय अभिदान पेन्शन एवम उपदान निधि में अगले माह की 5 तारीख तक जमा करवाना अनिवार्य है अन्यथा दोषी नगरपालिका को प्रचलित साधारण ब्याज की दर से ऊपर 1.5% की दर जोड़कर दंड ब्याज भरना पड़ेगा। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार लगभग 81% प्रकरणों में उक्त नियम की अवहेलना हुई है जहाँ निर्धारित तिथि को देय अभिदान की राशि जमा नहीं करवाई गई थीः–

माह	**बैंक में अभिदान जमा करने की तिथि**	**अभिदान की राशि (₹ में)**	
		पैन्शन	**उपदान**
1 से 3/2011	05.04.11	876894	365298
4 व 5/2011	25.06.11	584596	–––
6/2011	16.07.11	292298	365298
7/2011	11.08.11	292298	121766
8/2011	09.09.11	292298	121766
9/2011	05.10.11	292298	121766

10/2011	05.11.11	292298	121766
11/2011	10.12.11	292298	121766
12/2011	07.01.12	264299	136542
1/2012	07.02.12	264299	136542
2/2012	10.03.12	264299	136542
3/2012	10.04.12	264299	136542
4/2012	05.05.12	264299	136542
5/2012	06.06.12	264299	136542
6/2012	09.7.12	264299	136542
7/2012	08.08.12	264299	136542
8/2012	06.09.12	264299	136542
9/2012	5.10.12	264299	136542
10/2012	7.11.12	264299	136542
11/2012	7.12.12	264299	136542
12/2012	8.1.13	264299	136542
1/2013	7.2.13	264299	136542
2/2013	9.3.13	264299	136542

अतः उपरोक्त अनियमितता की औचित्यता स्पष्ट करते हुए या तो अब इसे उच्च सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाये अन्यथा उक्त वर्णित नियमानुसार निर्धारित दंड ब्याज की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में इन नियमों की सही अनुपालना भी सुनिश्चित की जाये।

(4) नगरपालिका निधि में पैन्शन एवम उपदान निधि में ₹5359250/– का अनियमित हस्तांतरण/अधिक भुगतानः–

H.P. Municipality Employees (Pension, Gratuity & GPF) Rules, 2000 में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका को हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्तर का केवल 12% पैन्शन तथा 5% ग्रेच्युटी का अभिदान ही पैन्शन एवम उपदान निधि में जमा

करवाया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार नगरपालिका निधि से पैन्शन एवम उपदान निधि में ₹5359250/– का अतिरिक्त हस्तांतरण/भुगतान किया गया जोकि उक्त वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित हैः–

पैन्शन एवम उपदान निधि के बैक खाते में राशि हस्तांतरण तिथि	**अतिरिक्त हस्तांतरण राशि (₹ में)**	**पैन्शन रोकड़ बही पृष्ठ संख्या**
05.04.11	393013	26
09.5.11	56353	28
09.9.11	82334	38
24.09.11	189521	42
05.10.11	114061	43
24.10.11	641166	45
05.11.11	104164	47
	5971	
10.12.11	9915	50
07.1.12	142296	53
07.2.12	149669	56
10.3.12	181451	59
10.4.12	196374	62
05.5.12	215072	65
06.6.12	193348	68
09.7.12	205726	71
08.8.12	234297	74
06.9.12	273211	77
05.10.12	300549	80
07.11.12	309538	83
07.12.12	309538	86

08.01.13	309538	89
07.2.13	309538	92
09.3.13	343377	95
कुल जोड़	**5359250**	

अतः उपरोक्त अनियमितता की औचित्यता स्पष्ट करते हुए या तो अब इसे उच्च सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये या फिर अनियमित रूप से हस्तांतरित उक्त वर्णित राशि को वापिस नगरपालिका निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में नियमों की सही अनुपालना भी सुनिश्चित की जाये।

(5) कर्मचारियों के वेतन से सामान्य भविष्य निधि या अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) अभिदान कम काटने या न काटने बारे अनियमितताएंः–

चयनित माह 1/2013 के वेतन वाउचरों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ लेखा परीक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार नियमित कर्मचारियों के वेतन से नियमानुसार सामान्य भविष्य निधि या अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) हेतु अभिदान की देय कटौती या तो की ही नहीं जा रही थी या कम की जा रही थी जोकि अनुचित एवम अनियमित है तथा अब इस अनियमितता को नियमानुसार देय कटौतियों का बकाया अपने स्तर पर गणना करके सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से वसूल किया जाये तथा सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति से सम्बन्धित निधियों में जमा करवाकर नियमित करवाया जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क) सामान्य भविष्य निधि अभिदान की देय मासिक कटौती नियमानुसार मूल वेतन के 6% या अधिक होनी चाहिए जबकि निम्न प्रकरण में यह कम काटी गई।

कर्मचारी का नाम, पद व कोड सं0	मूल वेतन दिनांक 31.03.12 को (₹ में)	वेतन से काटा गया अभिदान (₹ में)	6% की दर से जो अभिदान काटा जाना चाहिए था (₹ में)	वेतन से कम काटा गया अभिदान (₹ में)
श्री अशोक कुमार नं0 1	8500+1400	256	594	338

सुपुत्र श्री किशोरी, सफाई कर्मचारी (137)	ग्रेड पे

(ख) अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) हेतु देय अभिदान कम काटनाः—

नियमानुसार अभिदान की कटौती निम्न प्रकरणों में वेतन+ मंहगाई भत्तो की राशि के 10**%** से कम की गई तथा नियोक्ता का हिस्सा भी कम आंका गयाः—

क्रमांक	कर्मचारी का नाम, पद व कोड सं0	मूल वेतन ग्रेड पे सहित +मंहगाई भत्ता 72% (₹ में)	वेतन से काटा गया अभिदान (₹ में)	10% की दर से जो अभिदान काटा जाना चाहिए (₹ में)	वेतन से कम काटा गया अभिदान (₹ में)
1	श्री अनूप कुमार, सफाई कर्मचारी (149)	7000+5040=12040	963	1204	241
2	श्री जितेन्द्र कुमार, सफाई कर्मचारी (150)	6790+4889=11679	740	1168	428
3	श्री अशोक कुमार, सफाई कर्मचारी (159)	6390+4601=10991	403	1099	696
4	श्री अजय गर्ग, सफाई निरक्षक (125)	16260+11707=27967	2714	2797	83

(ग) अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) अभिदान न काटनाः—

माह 1/2013 के वेतन से निम्नलिखित कर्मचारियों का अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) हेतु अभिदान काटा ही नहीं गया था। विस्तृत लेखा परीक्षण हेतु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित दैनिक भोगी कर्मचारियों को माह फरवरी, 2012 के अन्तिम सप्ताह में नगरपालिका द्वारा नियमित रूप से नियुक्त किया गया तथा माह मार्च, 2012 में तो इन कर्मचारियों के वेतन से देय अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) हेतु अभिदान काटा गया परन्तु इसके बाद माह 4/2012 से 3/2013 तक=12 माह अंशदाई

पैन्शन योजना (CPS) हेतु अभिदान काटा ही नहीं गया था। चर्चा के दौरान कार्यालय ने सूचित किया कि नव नियुक्त कर्मचारियों का अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) हेतु अभिदान कटौती का आरम्भ इन कर्मचारियों द्वारा एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर किया जा रहा है जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि नियमानुसार कर्मचारी की नियमितीकरण तिथि से अगले माह के वेतन से अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) हेतु अभिदान की कटौती करना अनिवार्य है। इस प्रकार निम्न विवरण अनुसार कर्मचारियों से 12 माह की ₹1066/– प्रति माह की दर से ₹243048/– और इतना ही समतुल्य हिस्सा नियोक्ता से वसूली योग्य देय बनता है जिसे अब नियमानुसार कर्मचारियों से 12 बराबर किश्तों में वसूल करके नियोक्ता के समतुल्य हिस्से सहित अंशदाई पैन्शन योजना (CPS) निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में नियमों की सही अनुपालना भी सुनिश्चित की जाये।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम, पद व कोड सं0	मूल वेतन ग्रेड पे सहित+मंहगाई भत्ता 72% (₹ में)	10% की दर से जो अभिदान काटा जाना चाहिए था (₹ में)	12 माह की कटौती की राशि (₹ में)	नियोक्ता का समतुल्य हिस्सा (₹ में)	कुल अभिदान की राशि (₹ में)
1	श्री अनिल कुमार, सफाई कर्मचारी (248)	4900+1300=6200+4464=10664	1066	12792	12792	25584
2	श्री माया राम, सफाइ कर्मचारी (249)	4900+1300=6200+4464=10664	1066	12792	12792	25584
3	श्रीमती श्यामा देवी, सफाई कर्मचारी (250)	4900+1300=6200+4464=10664	1066	12792	12792	25584
4	श्री सुभाष चंद,	4900+1300=6200+4464=10664	1066	12792	12792	25584

	सफाई कर्मचारी (251)					
5	श्री अनिल कुमार, सफाई कर्मचारी (253)	4900+1300=6200+4464=10664	1066	12792	12792	25584
6	श्रीमती आशा देवी, सफाई कर्मचारी (254)	4900+1300=6200+4464=10664	1066	12792	12792	25584
7	श्रीमती आशा देवी, सफाई कर्मचारी (255)	4900+1300=6200+4464=10664	1066	12792	12792	25584
8	श्रीमती सन्तोष देवी, सफाई कर्मचारी (256)	4900+1300=6200+4464=10664	1066	12792	12792	25584
9	श्रीमती बिमला देवी, सफाई कर्मचारी (257)	4900+1300=6200+4464=10664	1066	12792	12792	25584
10	श्रीमती संगीता देवी, सफाई कर्मचारी (258)	4900+1300=6200+4464=10664	1066	12792	12792	25584
11	श्रीमती वीनादेवी, सफाई कर्मचारी (259)	4900+1300=6200+4464=10664	1066	12792	12792	25584
12	श्रीमती श्यामा देवी, सफाई कर्मचारी (260)	4900+1300=6200+4464=10664	1066	12792	12792	25584
13	श्री राकेश कुमार, सफाई कर्मचारी, (261)	4900+1300=6200+4464=10664	1066	12792	12792	25584

14	श्री विजय कुमार, सफाई कर्मचारी (262)	4900+1300=6200+4464=10664	1066	12792	12792	25584
15	श्रीमती सीमा देवी, सफाई कर्मचारी (263)	4900+1300=6200+4464=10664	1066	12792	12792	25584
16	श्रीमती मीना देवी, सफाई कर्मचारी (264)	4900+1300=6200+4464=10664	1066	12792	12792	25584
17	श्री रवि प्रकाश, सफाई कर्मचारी (265)	4900+1300=6200+4464=10664	1066	12792	12792	25584
18	श्रीमती मीना देवी, सफाई कर्मचारी (266)	4900+1300=6200+4464=10664	1066	12792	12792	25584
19	श्री संजय, सफाई कर्मचारी (267)	4900+1300=6200+4464=10664	1066	12792	12792	25584
		कुल जोड़	**20254**	**243048**	**243048**	**486096**

(6) सामान्य भविष्य निधिः–

(क) सामान्य भविष्य निधि से सेवा निवृत कर्मचारियों को ₹41431/– का अधिक भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान सामान्य भविष्य निधि के अन्तर्गत किये गए अन्तिम भुगतान से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रकरणों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि वित्त वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में ब्याज की गणना हेतु सही सूत्र एवं विधि न अपनाए जाने के कारण सेवानिवृत कर्मचारियों को ₹41431/– का अनियमित तौर से अधिक भुगतान किया गया थाः–

कर्मचारी का नाम/पद	सेवानिवृति /मृत्यु की तिथि	वित्त वर्ष 2010–11 जितना ब्याज दिया गया	जितना ब्याज देय बनता था	जितनें ब्याज का अधिक भुगतान किया गया (क)	वित्त वर्ष 2011–12 जितना ब्याज दिया गया	जितना ब्याज देय बनता था	जितनें ब्याज का अधिक भुगतान किया गया (ख)	कुल जितने ब्याज का अधिक भुगतान किया गया (क+ख) ₹ में
श्रीमती वीना अग्रवाल/लेखाकार	30.4.12	39749	37141	2608	58457	50088	8369	10977
श्रीमती शीला/सफाई कर्मचारी	31.3.13	4777	4087	690	1830	2263	(–) 433	257
श्रीमती माया देवी/जमादार	31.1.11	9736	7602	2134	——	———	———	2134
श्री सेवा राम/मिस्त्री	31.12.10	3797	2634	1163	——	———	———	1163
श्री रोशन अली/मिस्त्री	30.4.11	11761	10932	829	15283	2625	12658	13487
श्री माता फेर/बेलदार	30.6.11	19024	16688	2336	———	———	———	2336
श्री अशोक कुमार/बेलदार	13.11.10	6347	4435	1912	———	———	———	1912
श्री घनवीर सिंह/बेलदार	31.12.10	3845	2760	1085	———	———	———	1085
श्री नरेन्द्र प्रकाश/बेलदार	23.5.11	6595	6027	568	———	———	———	568

श्रीमती बिमला देवी / सफाई कर्मचारी	31.12.11	5629	5091	538	9290	6707	2583	3121
श्री अमर सिंह / मिस्त्री	31.12.10	16085	11694	4391	———	———	———	4391
							कुल योग	**41431**

अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान की राशि ₹41431/— की उपयुक्त स्त्रोत से वसूली करके तथा सम्बन्धित निधि में जमा करवाकर नियमित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसी प्रकार के अन्य समस्त प्रकरणों को अपने स्तर पर चिन्हित करके उनमें आवश्यक सुधार किया जाए ताकि भविष्य में अनुचित भुगतान की सम्भावना से बचा जा सके।

(ख) सामान्य भविष्य निधि के खातों में ₹988/— का अधिक अनुचित भुगतानः—

अंकेक्षण के दौरान सामान्य भविष्य निधि के अन्तर्गत किये गए अन्तिम भुगतानों से सम्बन्धित कुछ प्रकरणों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नानुसार सामान्य भविष्य निधि के खातों में ₹988/— का अनुचित अधिक जमा (Credit) प्रदान किया गया था। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹988/— की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम/पद	जितनी राशि का अधिक भुगतान किया गया (₹)	अधिक भुगतान किये जाने के कारण
1	श्रीमती वीना अग्रवाल/लेखाकार (Accountant)	700	1995—96 मे खाते में अन्तिम शेष ₹104097 था परन्तु 1996—97 में आरम्भिक शेष ₹104797 लिया गया जोकि ₹700 अधिक लिया गया

2	श्रीमती शीला (सफाई कर्मचारी)	288	वर्ष 1996–97 के दौरान कर्मचारी द्वारा कुल अंशदान ₹15939 किया गया था परन्तु गलती से यह योग ₹288 अधिक ₹16227 लिया गया था।
	कुल योग	**988**	

(ग)सामान्य भविष्य निधि के वार्षिक अंशदानों पर दिए जा रहे ब्याज के दरों से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कार्यालय आदेश प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतानों से सम्बन्धित कुछ प्रकरणों की पड़ताल के दौरान तथा चर्चा पर अवगत करवाया गया कि नगर परिषद अपने कर्मचारियों को वर्ष के दौरान किये गये अंशदानों (Contributions) पर सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित निवेशों पर वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की दर (Rates of intrest) के बराबर दर पर ही ब्याज प्रदान करती है परन्तु कई बार आग्रह करने पर भी निवेशों पर अर्जित ब्याज की दरों से सम्बन्धित दस्तावेज/जानकारी तथा ब्याज की दर जिस पर अंशदानों पर वार्षिक ब्याज दिया जाना था इस बारे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये कार्यालय आदेश प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह भी प्रतीत होता है कि जिस ब्याज की दर पर अंशदानों पर ब्याज दिया जाना है वे कार्यालय आदेश जारी ही न किये जाते हो क्योंकि इनके अभाव में कर्मचारियों के वार्षिक अंशदानों पर जिन ब्याज की दरों पर ब्याज प्रदान किया गया है वे सही है तथा प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत है इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस बारे कार्यालय आदेशों का जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(घ) नियमानुसार सेवा निवृति से तीन माह पूर्व कर्मचारियों के वेतन से सा0 भ0 नि0 अभिदान की मासिक कटौती बंद न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतानों से सम्बन्धित कुछ प्रकरणों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा सामान्य भविष्य निधि के नियमों के नियम 7 की अनुपालना नहीं की जा रही थी तथा सेवा निवृति से तीन माह पूर्व कर्मचारियों से मासिक अभिदान की कटौती नियमानुसार बंद नहीं की जा रही थी जोकि

अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में सामान्य भविष्य निधि के नियम 7 की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए।

24 गृहकरः—

(1) गृहकर ₹18134797/— की वसूली न करनाः—

नगर परिषद द्वारा गृहकर की वसूली नियमित रूप से नहीं की जा रही थी जिस कारण दिनांक 31.3.13 को ₹18134797/— गृहकर की वसूली शेष थी विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "छ"** पर संलग्न है। नगर परिषद द्वारा गृह कर की राशि को नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा नियमित वसूली न होने से नगर परिषद की वित्तीय स्थिति तथा विकासात्मक गतिविधियाँ/प्रभावित हो रही है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। गृहकर से सम्बन्धित व्यक्तिगत खातों के अवलोकन पर पाया गया कि अधिकतम मालिकों से पिछले कई वर्षों से सम्बन्धित गृहकर एवं अधिभार की बकाया राशि की वसूली नहीं की गई थी जिस कारण 31.3.13 को गृह कर की इतनी अधिक राशि की वसूली की जानी शेष थी तथा इसमें प्रतिवर्ष वृद्धि होने जा रही है। खातों में खाता धारियों की बकाया राशियों का नियमित रूप से अर्धतनीकरण (update) भी नहीं किया जा रहा था। अतः गृह कर की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि की अधिभार सहित वसूली हेतु शीध्र अतिशीध्र नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये तथा वर्णित राशि की वसूली करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। यह मामला उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(2) ₹30044/— गृहकर का बकाया कम दर्शाना/वसूल करनाः—

गृह कर के मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में चयनित मासों में कुछ प्रकरणों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि वर्ष के अन्त में गृहकर की बकाया राशियाँ शून्य दर्शाई गई थी जबकि निम्नलिखित प्रकरणों में ₹30044/— बकाया राशि वसूली हेतु शेष बनती थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹30044/— जमा अधिभार की राशि की उपयुक्त स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए इसके अतिरिक्त उपरोक्त अनियमितता से सम्बन्धित समरूप प्रकरणों को अपने स्तर पर चिन्हित करके नियमानुसार अपेंक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

गृह मालिक का नाम/वार्ड सं0	वार्षिक गृह कर ₹	अंकेक्षण अवधि के दौरान जितना गृह कर प्राप्त किया जाना चाहिए था (क) (₹)	अंकेक्षण अवधि के दौरान जितना गृहकर प्राप्त किया गया था (ख)	गृहकर प्राप्ति का विवरण	जितना गृह कर कम प्राप्त किया गया (क–ख)	दिनांक जिस तिथि को कम दर्शाया गया था
श्री जीवन सिंह/4	3326 (2001 से 12)	36586 (3326X11)	24750	10000/–रसीद संख्या 71/142 दिनांक 14.12.11 द्वारा तथा ₹14750 (रसीद संख्या 18/169 दिनांक 23. 3.12 द्वारा कुल =₹24750 (10000+14750))	11836	31.3.12
श्री राजेन्दर सिंह/3	395 (2001 से 06) 297 (2006–07) 264 (2007 से 2012)	3592(395x5+297x1+264x5)	3102	₹2574 रसीद संख्या 17/71 दिनांक 15.6. 10 द्वारा तथा ₹264 (र0स0 51/135 दिनांक 29.3.11 द्वारा ₹264 (र0स0 19/169 दिनांक 23. 3.12 द्वारा कुल ₹3102 (2574+264+264)	490	31.3.12
श्री विक्रम	3569 2001	38367 (3569X10+2677X1)	33907	₹26769 (र0स0	4460	31.3.12

गौतम/3	से 2012 (2006–07 को छोड़ कर) 2677 (2006–07)			75/71 दिनांक 12.7.10 द्वारा तथा ₹3569 (र0स0 78/91 दिनांक 6.1.11 द्वारा ₹3569 र0स0 76/161 दिनांक 16.3.12 द्वारा कुल=31907 (26769+3569+3569)		
श्रीमती उमा/3	1278 (2001 से 07) 831 (2007 से 12)	11823 (1278X6+831X5)	10862	5431 (र0स0 28/169 दिनांक 24.3.12 द्वारा तथा ₹5431 (र0स0 44/169 दिनांक 28.3.11 द्वारा कुल ₹10862) (5431+5431)	961	31.3.12
श्री लियाकत अली/2	702 (2001 से 07) 457 (2007 से 12)	6497 (702X6+457X5)	4987	₹457 (र0स0 66/20 दिनांक, 14.9.09 द्वारा तथा ₹4073 (र0स0 18723/188 दिनांक 12.2.09 द्वारा ₹457 (र0स0 13/169 दिनांक 21.3.12 द्वारा कुल ₹4987 (457+4073+457)	1510	31.3.12
श्री बुंडू	324 (2001	3210 (324x6+211x6)	2000	₹2000 (र0स0	1210	31.3.13

खान/1	से 07) 211 (2007 से 13)			77/200 दिनांक 1.3.13 द्वारा		
श्री सुंदर सिंह/1	119 (2001 से 07) 80 (2007 से 10) 89 (2010 से 13)	1221 (119x6+80x3+89x3)	500	₹500 (र0स0 68/143 दिनांक 21.3.13 द्वारा)	721	31.3.13
श्री राधे श्याम/5	2215/(2001 से 13)	26580 (2215X12)	17724	17724/र0स0 54/169 दिनांक 29.3.12 द्वारा	8856	31.3.13
				कुल योग	30044	

(3) ₹16706/– मकानों के नक्शें पारित शुल्क के रूप में कम वसूलीः–

चयनित मासों में मकानों के नक्शें पारित करने से सम्बन्धित प्रकरणों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में नगर परिषद द्वारा निम्नानुसार ₹16706/– नक्शा पारित शुल्क (map approval fee) के रूप में कम वसूले गये थेः–

व्यक्ति का नाम जिस का नक्शा पारित किया गया/माह	**प्रस्तावित क्षेत्र जिस पर नक्शा पारित शुल्क लिया जाना चाहिए था। (वर्गमीटर)**	**प्रस्ताविक क्षेत्र जिस पर नक्शा पारित शुल्क लिया गया था। (वर्गमीटर)**	**जितने प्रस्तावित क्षेत्र पर नक्शा पारित शुल्क कम लिया गया (वर्गमीटर)**	**जितना नक्शा पारित शुल्क कम प्राप्त किया गया था (₹)**	**टिप्पणी**
श्री ललित	542.20	431.36	110.84	3602 (277(110.84X2.	प्रस्तावित

जैन/3/12				50+3325(110.84X30)	पार्किंग क्षेत्र पर शुल्क नहीं लिया गया
श्री अशीष जैन/3/12	575.55	460.44	115.11	4029 (575.55 (115.11x5+3453.30(115.11x30)	–यथोपरि–
श्री अनिल जैन/3/12	571.38	459.20	112.18	3926 (561 (112.18x5)+3365 (112.18x30)	–यथोपरि–
श्री सुशांत ठाकुर/3/13	294	220.50	73.50	647/– 184 (73. 50x2.5)+463(73.50x6.30)	–यथोपरि–
श्री संजीव कुमार/3/13	300.76	300.76	––	4421 (300.76x14.70)	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का रेट ₹21 प्रति व0मी0 के स्थान पर 14.70 कम ₹6.30 चार्ज किया गया था
श्री संदीप शर्मा/2/13	189.20	180	9.20	81(23 (9.20x2.5)+58(9.20x6.30)	––––
		कुल योग		**16706**	

उपरोक्त प्रकरणों में प्रस्तावित क्षेत्र (proposed construction area) जिस पर भवन का निर्माण करवाया जाना अपेक्षित था उसमें मकान के भूमिगत, प्रथम तथा अन्य तलों के साथ पार्किंग तल (parking floor) भी शामिल था तथा नगर परिषद द्वारा नक्शा पारित करते समय अन्य निर्माणाधीन तलों का तो शुल्क वसूल कर लिया गया था परन्तु निर्माणाधीन पार्किंग तल से सम्बन्धित क्षेत्र (Area) का शुल्क वसूला नहीं किया गया था। यह प्रकरण केवल चयनित माह 3/12 तथा 3/13 से सम्बन्धित है तथा ऐसे अन्य प्रकरणों की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹16706/– की वसूली करने के साथ–2 अन्य समरूप प्रकरणों को चिहिन्त करने के पश्चात उन से भी अपेक्षित वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(4) छावनी क्षेत्र (cantonment area) में प्रस्तावित भवन निर्माण से सम्बन्धित नक्शे पारित करते समय नगर परिषद द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (Town & Country planning department) के शुल्कों की वसूली न करनाः–

चयनित मासों में भवन निर्माण के नक्शों से प्राप्त आय के लेखों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरों में भवनों के नक्शें पारित करते समय नगर परिषद ने अपने निर्धारित शुल्कों की वसूली तो की परन्तु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्कों की वसूली नहीं की गई। इस बारे चर्चा के दौरान कोई अधिसूचना/कार्यालय आदेश जिसके अन्तर्गत छावनी क्षेत्र में प्रस्तावित भवन निर्माण से सम्बन्धित नक्शें को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग शुल्कों की छूट प्रदान की गई हो अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि छावनी क्षेत्र में स्थित भवन निर्माण से सम्बन्धित नक्शे पारित करते समय जिस आधार पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग शुल्को की छूट दी जा रही थी इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

क्रमांक	नाम	माह	नगर परिषद से सम्बन्धित जितने शुल्क की प्राप्ति की गई (₹)	टिप्पणी
1	श्री भूपेन्दर ठाकुर पुत्र श्री शेर बहादुर	3/13	560	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से सम्बन्धित शुल्कों वसूल नहीं किया गया।
2	श्रीमती अर्चना पुत्री श्री रूपिन्दर	3/12	595	–यथोपरि–

25 सैनिटेशन शुल्कः–

(क) सैनिटेशन शुल्क की ₹4335579/– की शेष वसूलीः–

नगर परिषद द्वारा सैनिटेशन शुल्क की वसूली नियमित रूप से न करने के कारण दिनांक 31.3.2013 को ₹4335579/– वसूली योग्य शेष थे विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ज"** पर संलग्न है विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि नगर परिषद द्वारा सैनिटेशन शुल्क कर की राशि को नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु काई विशेष ध्यान भी नहीं दिया जा

रहा जा था जो कि अत्यन्त चिंन्ता का विषय है। सैनिटेशन शुल्क से सम्बन्धित व्यक्तिगत खातों के अवलोकन पर पाया गया कि अधिकतम खाता धारियों से पिछले कई वर्षों से सम्बन्धित सैनिटेशन शुल्क तथा ब्याज राशि की वसूली नहीं की गई थी जिस कारण 31.3.13 को सैनिटेशन शुल्क की इतनी अधिक राशि की वसूली की जानी शेष थी। अतः सैनिटेशन शुल्क कर की राशि नियमित रूप से वसूल न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि की वसूली हेतु शीध्र अतिशीध्र नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये। यह परिषद के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में आवश्यक आगामी कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(ख) सैनिटेशन शुल्क (Sanitation tax) से सम्बन्धित अभिलेख का अधतनीकरण (update) न करने बारेः–

आय के लेखों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि सैनिटेशन शुल्क से सम्बन्धित रजिस्टर में न तो व्यक्तिगत खातों में माह 3/12 तथा 3/13 में नगर परिषद द्वारा प्राप्त सैनिटेशन शुल्क की प्रविष्टियाँ की गई थी और न ही रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है तथा इस कारण रजिस्टर में की गई प्रविष्टियाँ को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। रजिस्टरों में जो प्रविष्टियाँ की गई थी उन से ये कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि किसी व्यक्ति से वित्त वर्ष के आरम्भ में कितना बकाया शेष था, वर्ष के दौरान कितना प्राप्त हुआ तथा वर्ष के अन्त में कितना शेष था। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रजिस्टर का नियमानुसार सही रख रखाव करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

26 स्टाल/दुकान/गैराजः–

(क) स्टालों/दुकानों/गैराजों से प्राप्त होने वाले मासिक किराये की ₹3696448/–की वसूली न करनाः–

नगर परिषद द्वारा शहर के विभिन्न स्थानो पर व्यवसायियों/कारोबारियों को प्रदान किये गये स्टालों/दुकानों/गैराजों से प्राप्त होने वाले मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं की जा रही थी जिस कारण दिनांक 31.3.13 को ₹3696448/– वसूली हेतु शेष थे जैसा कि नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट "झ"** द्वारा उपलब्ध करवाए गए विवरण से स्पष्ट

हो जाता है। नगर परिषद द्वारा मासिक किराये की राशि को नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा नियमित वसूली न होने से नगर परिषद की वित्तीय स्थिति तथा विकासात्मक गतिविधियाँ/प्रभावित हो रही है जोकि अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र अतिशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये।

(ख) अनुबन्ध के बिना ही दुकानों/स्टालों का आंबटनः–

दुकानों/स्टालों के किराये के मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि निम्न प्रकरणों में दुकानों/स्टालों के आंबटन से सम्बन्धित अनुबन्ध/इकरारनामे बार–2 मौखिक रूप से आग्रह करने पर भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे प्रतीत होता है कि दुकानों/ स्टालों का आंबटन सम्बन्धित प्रार्थी कों बिना किसी अनुबन्ध/इकरारनामें के ही कर दिया गया। वैध अनुबन्ध/इकरारनामे के अभाव में आंबटन की तिथि, नियम व शर्ते तथा लिए जा रहे किराये की सत्यता की पुष्टि नहीं की सकी। अतः बिना किसी अनुबन्ध/इकरारनों के दुकानों/स्टालों के आंबटन बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं यह सुझाव दिया जाता है कि दुकानों/स्टालों के आंबटियों से अब वैध अनुबन्ध/इकरारनामे किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि किराये का उचित विनियमन (Regulation) किया जा सके एवं भविष्य में अनावश्यक मुकदमेबाजी से भी बचा जा सके।

क्र0सं0	आंबटी का नाम	मासिक किराया
1	इन्द्रजीत वालिया	340
2	बशीर एहमद	140
3	बंसत कुमार	660
4	श्री सागर	110

(1) दुकानों/स्टालों/गैराजों का ₹14200/– कम किराया वसूल करनाः–

दुकानों/स्टालों/गैराजों के मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में कुछ चयनित प्रकरणों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.13 को बकाया किराया की राशि शून्य दर्शाई गई थी जबकि अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रकरणों में ₹14200/– की वसूली शेष थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹14200/– के साथ–2 उपरोक्त अनियमितता से सम्बन्धित समरूप प्रकरणों (चयनित मासों को छोड़ कर) को अपने

स्तर पर चिन्हित तथा उनमें कम वसूली गई राशि की गणना करने उपरान्त उस राशि की भी उपयुक्त स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

दुकानदार/स्टाल होल्डर/गैराज होल्डर का नाम	**मासिक किराया (₹)**	**अंकेक्षण अवधि के दौरान जितना किराया प्राप्त किया जाना चाहिए था (मासिक किरायाx24)(₹)**	**अंकेक्षण अवधि के दौरान जितना किराया प्राप्त किया गया था (₹)**	**जितना किराया कम प्राप्त किया गया।**
श्री भूपेन्दर नाथ (रानीताल के पास)	565	13560	12430	1130
श्री अशोक आर्या (अस्पताल के पास)	2340	56160	49140	7020
श्री नीरज गुप्ता (हाथी की कब्र के पास)	660/– (4/11 से 7/11 तक) 730/– (8/11 से 3/13 तक)	17240	16400	840
श्री बशीर एहमद (बड़ा चौक)	140	10210 (6850 4/11 को आरम्भिक शेष+3360 (140x24)	5000	5210
			कुल योग	**14200**

(2) तहबाजारी शुल्कः–

₹1250/– तहबाजारी शुल्क की कम वसूलीः–

नगर परिषद ने आम सभा प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 3/11 द्वारा तहबाजारी शुल्क की वसूली दर ₹50/– प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित की थी परन्तु चयनित मासों में

आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि यह वसूली ₹50/– के स्थान ₹35 प्रतिदिन के हिसाब से की जा रही थी तथा इस कारण निम्नलिखित प्रकरणों में ₹1250/– की कम वसूली की गई थी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹1250/– के साथ–2 अंकेक्षण अवधि के दौरान (चयनित माह छोड़ कर) इस कारण कम वसूली गई तहबाजारी शुल्क की अपने स्तर पर गणना करके उस राशि की भी वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए तथा भविष्य में तहबाजारी शुल्क की सही राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

रसीद सं0/दिनांक	**₹35 प्रति दिन की दर से जितनी राशि (₹) वसूली गई थी (क)**	**जितने दिन का तहबाजारी शुल्क वसूला गया**	**दिनों की संख्या**	**₹50 प्रति दिन की दर से जितनी राशि वसूली की जानी चाहिए थी (₹) (ख)**	**जितनी राशि की कम वसूली की गई थी (ख–क)**
61/149 23.3.13	105	24 से 26.3.13	3	150	45
62/149 23.3.13	105	23. से 26.3.13	4	200	95
63/149 23.3.13	70	25 से 26.3.13	2	100	30
75/149/25. 3.13	70	–यथोपरि–	2	100	30
76/149 25.3.13	105	25 से 27.3.13	3	150	45
79/149 25.3.13	105	–यथोपरि–	3	150	45
95/149 25.3.13	70	25 से 26.3.13	2	100	30
100/153 30.3.13	140	1 से 3.4.13	3	150	10

33, 35, 37 व 38/165 3/13	175	6 व 7.3.13, 7.3.13, 7.3.13, 7.3.13	5	250	75
19/174 3/12	105	1 से 3.4.13	3	150	45
23/146 15.3.13	750	मार्च/13	31	1550	800
				कुल योग	**1250**

27 मोबाईल टावरस शुल्क ₹90000/– की वसूली न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की पत्र संख्या DIT-Dev-IT-2005 (Misc.) दिनांक 22.8.2006 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल सेवा प्रदान करने वाली विभिन्न कम्पनियों द्वारा लगाए गए मोबाईल टावरों से स्थापना शुल्क तथा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क वसूल करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट "ट"** में दिये गये विवरण के अनुसार ₹90000/– वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की वसूली नहीं की गई थी। अतः उपरोक्त राशि की समय पर वसूल न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार अपेक्षित राशि की वसूली करके तथा नगर परिषद निधि में जमा करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

28 ट्रेड लाईसैन्स शुल्कः–

(क) ₹45100/– ट्रेड लाईसैन्स शुल्क की वसूली न करनाः–

दिनांक 31.3.2013 तक निम्नविवरणानुसार ₹45100/– ट्रेड लाईसैन्स के रूप में वसूल करने शेष थे। अतः ट्रेड लाईसैन्स शुल्क की नियमित रूप से वसूली न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि ₹45100/– की वसूली करने हेतु निम्नानुसार ठोस कदम उठाए जाए।

वर्ष	पंजीकृत दुकानों की कुल संख्या	ट्रेड लाईसैन्स शुल्क की दर (प्रति दुकान)	जितनी राशि की वसूली की जानी चाहिए थी (₹) (क)	दो वर्षों (2011–12 तथा 2012–13) में जितनी वसूली की गई थी (₹) (ख)	अंकेक्षण अवधि के दौरान कम की गई वसूली (क–ख)
2011–12	1175	50 (1150 का रेट 100) (25 दुकानों का रेट)	60000 (1150x50+25x100)	39650	20350
2012–13	1175	–यथोपरि–	60000 (1150x50+25x100)	35250	24750
		कुल योग	**120000**	**74900**	**45100**

(ख) ₹9500/– चौगान (Ground) के किराये की कम वसूलीः–

आय के लेखों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नानुसार नगर परिषद द्वारा चौगानल के किराए की ₹9500/– कम वसूली की गई थीः–

माह	रसीद सं0/दिनांक	आवेदन पत्र के अनुसार जितनी अवधी/दिन के (आधे चौगान) लिए बुकिंग की गई थी	₹3500/– (7000(5000+2000)/2) नगर परिषद द्वारा निर्धारित प्रति दिन की दर से जितना किराया बनता था (₹)(क)	जितने किराए की वसूली की गई (₹) (ख)	जितने किराए की कम वसूली की गई (₹) (क–ख)
3/13	34/146 दिनांक 16.3.13	27 से 2.4.13 तक (7 दिन)	24500(3500X7)	15000	9500

अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹9500/– की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

29 पार्किंग शुल्कः–

(क) ₹14582/– पार्किंग के वार्षिक अनुबन्ध की राशि कम प्राप्त करनाः–

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान दिये गये पार्किंग से सम्बन्धित वार्षिक अनुबन्धों की पड़ताल पर पाया गया कि श्री अजय कान्त को वर्ष 2013–14 के लिए वेटनरी होस्पिटल के पास स्थित पार्किंग का अनुबन्ध गत वित्त वर्ष की अनुबंधित राशि पर 10**%** अधिक बढ़ा कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2012–13 में प्राप्त अनुबन्धित राशि ₹300656/– थी तथा 10**%** की बढ़ौतरी के आधार पर अनुबन्ध की राशि ₹330722/– बनती थी जबकि उन्हें यह अनुबन्ध ₹14582/– (330722–316140) कम में दिया गया था। इससे सम्बन्धित अनुबन्ध (Agreement) भी अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹14582/– उपयुक्त स्त्रोत से वसूल करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) लम्बी अवधि तक मुरम्मत कार्य करवाए जाने के फलस्वरूप रानी बाग/कैन्टीन से कोई आय प्राप्त न होने बारेः–

नगर परिषद की सम्पत्तियों की नीलामी/ठेके/वार्षिक अनुबन्धों से सम्बन्धित प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर परिषद को रानी बाग/कैन्टीन/बोटिंग को अवधि 2011–13 के दौरान अनुबन्ध पर न दिए जाने के कारण कोई आय प्राप्त नही हुई थी। लेखा परीक्षा में बताया गया कि इस सम्पत्ति की हालत सही न होने के रानी बाग/कैन्टीन का मुरम्मत का कार्य चल रहा था जिस कारण अवधि 2011–13 में इसे ठेके/अनुबन्ध पर नहीं दिया गया था परन्तु यह मुरम्मत का कार्य कब आरम्भ तथा समाप्त हुआ इस बारे कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। साथ ही दो वर्षों तक (2011–13) इतनी लम्बी अवधि के लिए केवल मुरम्म्त के कार्य हेतु इस सम्पति को अनुबन्ध पर न देना तथा कोई आय प्राप्त न करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अपनी सम्पत्तियों की नियमित रूप से मुरम्मत तथा रख रखाव किया जाना नगर परिषद का कर्तव्य/दायित्व है ताकि उनसे नियमित रूप से आय प्राप्त की जा सके। अतः रानी बाग/कैन्टीन की इतनी लम्बी अवधि (दो

वर्षों) तक मुरम्मत कार्य करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व कैन्टीन की मुरम्मत अब शीध्र करके नियमानुसार ठेके पर दी जाए ताकि परिषद की आय में बढौतरी हो सके।

30 बिजली शुल्क बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0डी0 (1)–9/94 दिनांक 24.8.2000 के अनुसार नगर परिषद के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर दिनांक 1.10.2000 से एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत बोर्ड द्वारा नगर परिषद को भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया था। उपलब्ध करवाई गई विस्तृत विवरण **परिशिष्ट ढ** पर संलग्न है जिसका विवरण निम्नानुसार है नगर परिषद को इस सन्दर्भ में ₹297997/– अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त हुए थे परन्तु वर्षवार खपत की गई बिजली से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए जाने से प्राप्त आय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। परिषद को अवधि 10/11 से 09/12 से सम्बन्धित यह राशि विद्युत बोर्ड से प्राप्त नहीं हुई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित विभाग से इस राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	**पत्र सं0**	**जिस अवधि से आय सम्बन्धित थी**	**राशि (₹)**
1	रोकड़ वही की पृष्ठ संख्या 25 (माह 4/11) एवं 28 (माह 12/11) के अनुसार)	------	95591
2	NED/Cash/11-10568 Dt. 04.02.2012	04/11 से 09/11	91989
3	NED/Cash/11-14949 Dt. 26.03.2013.	10/12 से 12/12	46790
4	NED/Cash/11-2573 Dt. 02.07.2013	01/13 से 03/13	63627
		कुल योग	**297997**

31 लॉग बुक जीप (एच0पी0–18–0381)

(क) जीप की वास्तविक ईंधन खपत निर्धारित खपत से अधिक होने के कारण नगर परिषद पर ₹51896/– का अतिरिक्त वित्तीय भारः–

जीप की लॉग बुक की अवधि 01.04.11 से 31.03.13 की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा जीप की औसत तेल खपत का निर्धारण सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं करवाया गया था। जीप की ईंधन खपत Joint Secretary (GA) to the Govt. Of H.P. Litter No. GAD No. A/O 1-11-96 dated 21/1/97 द्वारा निर्धारित खपत से कहीं अधिक थी जिस कारण निम्न आंकलन अनुसार नगर परिषद निधि पर अंकेक्षण अवधि में लगभग ₹51896/– का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। पाई गई अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए एवं परिषद निधि को इस कारण हुई हानि की भरपाई उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में जीप की औसत तेल खपत का निर्धारण किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यदि जीप की औसत तेल खपत निर्धारित औसत तेल खपत से कम पाई जाए तो तदानुसार अधिक प्रयोग किए गए तेल की कीमत की वसूली वर्तमान दरों के अनुसार की जानी सुनिश्चित की जाए।

1.4.11 को लाग बुक के अनुसार रीडिंग	31.3.13 को लॉग बुक के अनुसार रीडिंग (2)	1.4.11 से 31.3.13 तक जीप द्वारा टी दूरी (कि0मी0) (3)=(2–1)	1.4.11 से 31.3.1 तक डीजल की कुल खपत (लीटर) (4)	1.4.11 से 31.3.13 तक वाहन द्वारा प्र0ली0 डीजल से तय दूरी (कि0मी0 प्रति लीटर) 5 (3/4)	वाहन की वांन्छित औसत (6)	1.4.11 से 31.3.13 वांन्छित औसत के आधार पर डीजल की खपत (लीटर) 7 (3/6)	डीजल की अधिक खपत 8 (4–7) (लीटर में)	डीजल की अधिक खपत के कारण हुई हानि (₹) (1206.89 लीटरX43₹ प्रति लीटर)
39309	57551	18242	3233.89	5.64	9	2027	1206.89	51896 (लगभग)

(ख) बिना प्रशासनिक स्वीकृति के वाहन को प्रयोग करने के सम्बन्ध में:–

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच(ए)(7)–1/87 दिनांक 20.7.2001 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नगर परिषद वाहनों के नगर परिषद क्षेत्र के बाहर प्रयोग हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग की अनुमति ली जानी आवश्यक है। टेस्ट चैक के दौरान निम्नलिखित प्रकरणों में वाहन के प्रयोग हेतु सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिस से प्रतीत होता है कि इन यात्राओं के लिए वाहन का प्रयोग परिषद क्षेत्र के बाहर बिना सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति के बिना वाहन द्वारा तय की गई दूरी बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं इसे अब या तो सक्षम अधिकारी से कार्योंतर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए अन्यथा उक्त यात्राओं को निजि यात्रा मानते हुए ₹34890 (5815X6) वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

यात्रा का स्थान	**तय की गई दूरी (कि0मी0)**	**दिनांक**	**यात्रा करने वाले अधिकारी का नाम**	**टिप्पणी**
नाहन से शिमला व वापसी	270	8.7.11	कार्यकारी अधिकारी	यात्रा का उद्देश्य लॉग बुक में नहीं भरा गया था।
–यथोपरि–	280	12.7.11	–यथोपरि–	–यथोपरि–
–यथोपरि–	295	8.11.11	–यथोपरि–	–यथोपरि–
–यथोपरि–	288	19.12.11	–यथोपरि–	–यथोपरि–
–यथोपरि–	280	30.1.12	–यथोपरि–	–यथोपरि–
–यथोपरि–	285	6.3.12	–यथोपरि–	–यथोपरि–
–यथोपरि–	310	15.3.12	–यथोपरि–	–यथोपरि–
–यथोपरि–	568	2 से 5.4.12 (दो बार)	–यथोपरि–	–यथोपरि–
–यथोपरि–	290	10.4.12	–यथोपरि–	–यथोपरि–
–यथोपरि–	285	16.4.12	–यथोपरि–	–यथोपरि–
–यथोपरि–	295	23.6.12	कनिष्ठ अभियन्ता	सभा में जाने के लिए परन्तु सभा किस कारण या किस प्राधिकारी के

				साथ थी उसकी प्रविष्टि नहीं की गई थी
–यथोपरि–	290	24.8.12	कार्यकारी अधिकारी	–यथोपरि–
नाहन से शिमला (पंचकुला हो कर) व वापसी	330	13.9.12	–यथोपरि–	–यथोपरि–
–यथोपरि–	330	24.9.12	–यथोपरि–	यात्रा का उद्देश्य लॉग बुक में नहीं भरा गया था।
नाहन से कालका व वापसी	210	3.11.12	–यथोपरि–	बेम्बो की टोकरियाँ लोन हेतु
नाहन से सोलन (पंचकुला हो कर) व वापसी	280	19.11.12	–यथोपरि–	बड़ोग में वर्क शॉप हेतु
नाहन से शिमला व वापसी	299	14.2.13	कार्यकारी अधिकारी	प्रिटिंग करवाने हेतु
–यथोपरि–	300	4.3.13	–यथोपरि–	लिखा नहीं गया
नाहन से सोलन (पंचकुला हो कर) व वापसी	330	18.3.13	–यथोपरि–	–यथोपरि–
कुल योग	**5815**			

(ग) लॉग पुस्तिका का नियमानुसार रख–रखाव न करनाः–

चयनित मासों में लॉग बुक की पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर परिषद की विभिन्न वाहनों की लॉग बुक्स का रख–रखाव नियमानुसार न किये जाने के कारण विभिन्न अनियमितताएं पाई गई जैसे कि लॉग बुक (एच0पी0–18–0381, एच0पी0–18–4781 तथा एच0पी0–71–1736) में वाहन के चलने व रूकने के समय, वाहन द्वारा तय की गई दूरी तथा यात्रा के उद्देश्य से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ न करना, सक्षम अधिकारी द्वारा लॉग बुकस (एच0पी0–18–4781, एच0पी0–71–1736, एच0पी0ए0–18–4935, एच0पी0–18 बी–0409 तथा

एच0पी0–18 बी–0408) में दर्ज प्रविष्टियों तथा डीजल की औसत मासिक खपत की गणनाओं का सत्यापन न करना, लॉग बुक (एच0पी0–71–1736) की पृष्ठ संख्या 9 पर दिनांक 16 से 10.1.13 तक मीटर रींडिंग में ओवर राईंटिंग का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित न करना, लॉग बुक (एच0पी0–18–4781) में नियमित रूप से प्रविष्टियाँ न करना (दिनांक 19.12.12 से 10.1.13, 19.1.13 से 28.2.13, 1.3.13 से 12.3.13 तथा 25.3.13 से 31.3.13 तक कोई प्रविष्टियाँ ही नहीं की गई थी) आदि जिस कारण दर्शाई गई यात्राओं की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा वाहन/डीजल के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त अनियमितताओं के कारण स्पष्ट करने के साथ–2 ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार उचित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में लॉग बुक का नियमानुसार रख रखाव सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

32 ठोस कचरा प्रबन्धन (Solid Waste Management) से उत्पन्न खाद के 79961 कि0ग्रा0 मात्रा के भारी स्टॉक का disposal न करनाः–

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवम सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 31.03.13 को 79961 कि0ग्रा0 खाद की भारी मात्रा स्टॉक में बिक्री हेतु शेष थी जोकि अंकेक्षण की आरम्भ तिथि 01.04.11 से भी पूर्व से शेष चली आ रही थी तथा इसकी बिक्री हेतु भी कोई विशेष ठोस पग उठाये गए प्रतीत नहीं हुए। इस सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि खाद के बिक्री मूल्य को तर्कसंगत रूप से निश्चित किया जाये व स्टॉक के disposal हेतु भी विशेषतौर से ठोस पग उठाये जाएँ जैसे कि सरकारी व अर्धसरकारी विभागों अर्थात कृषि/उद्यान व बागवानी विभाग/विश्वविद्यालय इत्यादि को खाद बेचने सम्बन्धित सम्भावनाओं को तलाशना ताकि परिषद को वर्ष दर वर्ष हो रही वित्तीय हानि को कम किया जा सके तथा इसकी कमजोर वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके। यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है।

33 रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में पाई गई कमियाँः–

रसीदों के स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल में निम्नलिखित कमियाँ/अनियमितताएं पाई गईः–

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों के अनुसार निम्नानुसार रसीद बुकों की छपवाई करवाई गई थी परन्तु इन रसीद बुकों की छपवाई से

सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न करवाए जाने के कारण छपवाई गई रसीद बुकों की संख्या 250 ही है इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।

दिनांक	**रसीद बुक रजिस्टर पृ0सं0**	**छपवाई गई रसीद बुकों की संख्या**
5/11	8	20
9/11	9	20
2/12	10	10
3/12	11	20
——	12	100
12/12	16	10
12/12	16	10
1/13	17	10
1/13	17	20
3/13	18	30
	कुल योग	**250**

(ख) स्टॉक रजिस्टर में कई पृष्ठों पर रसीद बुकों के जारी करने की दिनांक की प्रविष्टि नहीं की गई थी। कई पृष्ठों पर कटिंग/ओवर राईटिंग की गई थी जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार हैः—

दिनांक	**रजिस्टर की पृ0सं0**	**टिप्पणी**
	8, 11, 12, 13 तथा 16	रसीद बुक जारी करने की तिथि की प्रविष्टि नहीं की गई थी
	10	कटिंग/ओवर राईटिंग सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थी
	13, 14 तथा 15	रसीद संख्या 43, 74, 76, 92, 95 उद्देश्य नहीं पाया गया

(ग) नियमानुसार रसीद बुकों पर उपयोग से पूर्व रसीदों की संख्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी अपेक्षित है जोकि नहीं किया जा रहा था। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुद प्रकरण निम्नानुसार हैः—

क्रमांक	**रसीद बुक संख्या**	**माह**
1	161	2 तथा 3/13
2	163	—यथोपरि—
3	170	3/12
4	168	3/12
5	138	3/13

अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

34 अभिलेख प्रस्तुत न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने पर भी निम्नलिखित अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये यह अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा यह अभिलेख आगामी अंकेक्षण में आवश्यक पड़ताल हेतु प्रस्तुत किये जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	**अभिलेख का विवरण**	**टिप्पणी**
1	रसीद संख्या 7/146 द्वारा माह 3/13 में प्राप्त ₹5100 कम्पांडिंग शुल्क	अभिलेख जिसके आधार पर कम्पाउंडिंग शुल्क की गणना की गई अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

35 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई तथा लघु आपत्तियो का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया था।

36 **निष्कर्षः—**

अभिलेख एवं लेखों के सही ढ़ंग से रख रखाव तथा समय से updation की नितान्त आवश्यकता है एवं साथ में गम्भीर अनियमितताओं व पिछले अंकेक्षण पैरों के समाधान हेतु शीध्र आवश्यक पग उठाया जाना अपेक्षित है।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2) (सी)(15)(5) 44/86 खण्ड—5-4476-78 दिनांक 04.08.14, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

1 निदेशक, शहरी विकास, हि0प्र0, शिमला—171002

पंजीकृत 2 कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव नगर परिषद नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

3 वरिष्ठ उप—महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश शिमला—171002

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "क" अंकेक्षण प्रतिवेदन 1 (ग) में सन्दर्भित

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/60 से 3/61

1	पैरा–4 (ए) (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (ए) (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (ए) (3)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (बी)	अनिर्णीत
5	पैरा–8	अनिर्णीत

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/65 से 03/67

1	पैरा–7	अनिर्णीत

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/69 से 11/70

1	पैरा–7	अनिर्णीत

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 12/70 से 3/72

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–5	अनिर्णीत
3	पैरा–6	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/72 से 3/76

1	पैरा–8 (iii)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (ए)	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (आर)	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (एफ)	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (एच)	अनिर्णीत

6	पैरा–12 (ए)	अनिर्णीत
7	पैरा–13 (बी)	अनिर्णीत
8	पैरा–13 (डी)	अनिर्णीत
9	पैरा–13 (ई)	अनिर्णीत
10	पैरा–13 (एफ)	अनिर्णीत
11	पैरा–13 (जी)	अनिर्णीत
12	पैरा–13 (एच)	अनिर्णीत
13	पैरा–13 (आई)	अनिर्णीत
14	पैरा–13 (जे)	अनिर्णीत
15	पैरा–13 (के)	अनिर्णीत
16	पैरा–13 (एल)	अनिर्णीत
17	पैरा–13 (एम) व (एन)	अनिर्णीत
18	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
19	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत
20	पैरा–19 (7)	अनिर्णीत
21	पैरा–19 (8)	अनिर्णीत
22	पैरा–19 (9)	अनिर्णीत
23	पैरा–19 (20)	अनिर्णीत
24	पैरा–19 (21)	अनिर्णीत
25	पैरा–19 (22)	अनिर्णीत
26	पैरा–20	अनिर्णीत
27	पैरा–21	अनिर्णीत
28	पैरा–25	अनिर्णीत
29	पैरा–30	अनिर्णीत

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/76 से 3/82

1	पैरा–3 (डी) (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–3 (डी) (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत

4	पैरा—11	अनिर्णीत
5	पैरा—12	अनिर्णीत
6	पैरा—19	अनिर्णीत
7	पैरा—20 (ई)	अनिर्णीत
8	पैरा—20 (एफ)	अनिर्णीत
9	पैरा—20 (जी)	अनिर्णीत
10	पैरा—20 (एच)	अनिर्णीत
11	पैरा—20 (जे)	अनिर्णीत
12	पैरा—23 (4)	अनिर्णीत
13	पैरा—23 (30)	अनिर्णीत
14	पैरा—23 (32)	अनिर्णीत
15	पैरा—23 (35)	अनिर्णीत
16	पैरा—23 (38)	अनिर्णीत
17	पैरा—23 (46)	अनिर्णीत
18	पैरा—25	अनिर्णीत
19	पैरा—26	अनिर्णीत
20	पैरा—29	अनिर्णीत
21	पैरा—31	अनिर्णीत
22	पैरा—32 (बी)	अनिर्णीत

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/84

1	पैरा—6	अनिर्णीत
2	पैरा—7	अनिर्णीत
3	पैरा—15 (बी)	अनिर्णीत
4	पैरा—15 (एफ)	अनिर्णीत
5	पैरा—17 (4)	अनिर्णीत
6	पैरा—17 (5)	अनिर्णीत
7	पैरा—17 (13)	अनिर्णीत
8	पैरा—17 (14)	अनिर्णीत

9	पैरा—17 (22)	अनिर्णीत
10	पैरा—17 (29)	अनिर्णीत
11	पैरा—18 (22)	अनिर्णीत
12	पैरा—22 (ए)	अनिर्णीत
13	पैरा—22 (बी)	अनिर्णीत

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85

1	पैरा—7	अनिर्णीत
2	पैरा—14 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा—14 (5)	अनिर्णीत
4	पैरा—14 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा—15 (4)	अनिर्णीत
6	पैरा—20	अनिर्णीत
7	पैरा—21	अनिर्णीत
8	पैरा—23	अनिर्णीत
9	पैरा—24 (ई)	अनिर्णीत

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/86

1	पैरा—3 (डी) (1)	अनिर्णीत
2	पैरा—5	अनिर्णीत
3	पैरा—6	अनिर्णीत
4	पैरा—7 (बी)	अनिर्णीत
5	पैरा—8	अनिर्णीत
6	पैरा—9	अनिर्णीत
7	पैरा—14	अनिर्णीत
8	पैरा—15	अनिर्णीत
9	पैरा—17 (बी)	अनिर्णीत
10	पैरा—19	अनिर्णीत
11	पैरा—20	अनिर्णीत

12	पैरा–21 (बी)	अनिर्णीत
13	पैरा–21 (एफ)	अनिर्णीत
14	पैरा–21 (जे)	अनिर्णीत
15	पैरा–22 (ए)	अनिर्णीत

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/90

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–11	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत
6	पैरा–14	अनिर्णीत
7	पैरा–19 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–24	अनिर्णीत
9	पैरा–25	अनिर्णीत
10	पैरा–26	अनिर्णीत

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/92

1	पैरा–5	आंशिक निर्णीत	(सरकारी अनुदानों से बची राशि को वापिस सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया गया)
2	पैरा–6	अनिर्णीत	
3	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	
4	पैरा–8 (ग) (1)	अनिर्णीत	
5	पैरा–8 (ग) (3)	आंशिक निर्णीत	(सफेदी करवाने के लिए मस्टररोल संख्या 104 से कार्य 104 की समस्त जॉच नहीं की गई)

6	पैरा–8 (ङ)	अनिर्णीत
7	पैरा–9 (क) (1)	अनिर्णीत
8	पैरा–9 (क) (3, 4)	अनिर्णीत
9	पैरा–9 (ख, ग)	अनिर्णीत
10	पैरा–10 (ख, ग)	अनिर्णीत
11	पैरा–11 (क, ख) (1 से 5)	अनिर्णीत
12	पैरा–12 (क) (15)	अनिर्णीत
13	पैरा–12 (क) (19)	अनिर्णीत
14	पैरा–12 (क) (21 से 23)	अनिर्णीत
15	पैरा–13	अनिर्णीत
16	पैरा–13 (घ)	अनिर्णीत
17	पैरा–16 (ख) (1)	अनिर्णीत
18	पैरा–16 (ग, घ)	अनिर्णीत
19	पैरा–17	अनिर्णीत
20	पैरा–20 (क) (5)	अनिर्णीत
21	पैरा–21 (क)	अनिर्णीत
22	पैरा–21 (ख) (1)	अनिर्णीत
23	पैरा–21 (ग से ज)	अनिर्णीत
24	पैरा–22	अनिर्णीत
25	पेरा–24	अनिर्णीत
26	पैरा–27 (ख)	अनिर्णीत
27	पैरा–30	अनिर्णीत
28	पैरा–31	अनिर्णीत
29	पैरा–32	अनिर्णीत

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/95

1	पैरा–5 (क) (iv)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (ज)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (i) से (iv)	अनिर्णीत

4	पैरा–7 (ग) (i) (ii)	अनिर्णीत
5	पैरा–8	अनिर्णीत
6	पैरा–11	अनिर्णीत
7	पैरा–13 (क) (v)	अनिर्णीत
8	पैरा–13 (फ) (vi)	अनिर्णीत
9	पैरा–13 (फ) (vii)	अनिर्णीत
10	पैरा–13 (एफ) (ix)	अनिर्णीत
11	पैरा–13 (म) (i से vi)	अनिर्णीत
12	पैरा–15 (क से ङ)	अनिर्णीत
13	पैरा–16 (ङ) (i से vi)	अनिर्णीत
14	पैरा–16 (च) (i)	अनिर्णीत
15	पैरा–17 (क) (i) (ii)	अनिर्णीत
16	पैरा–17 (ख) (i to v)	अनिर्णीत
17	पैरा–17 (ग) (i to v)	अनिर्णीत
18	पैरा–21 (iv to ix)	अनिर्णीत
19	पैरा–22 (iii)	अनिर्णीत
20	पैरा–27	अनिर्णीत

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/2003

1	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा–7	अनिर्णीत
5	पैरा–8	अनिर्णीत
6	पैरा–9	अनिर्णीत
7	पैरा–10	अनिर्णीत
8	पैरा–11	अनिर्णीत
9	पैरा–13 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा–14 (6)	आंशिक रूप से निर्णीत
11	पैरा–19 (1)	अनिर्णीत

12	पैरा–19 (2) (3)	अनिर्णीत
13	पैरा–19 (5)	अनिर्णीत
14	पैरा–20 (5)	अनिर्णीत
15	पैरा–20 (6)	अनिर्णीत
16	पैरा–20 (7)	अनिर्णीत
17	पैरा–20 (8)	अनिर्णीत

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2007

1	पैरा–2	अनिर्णीत
2	पैरा–3 (i, ii)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (ii to ix)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (x) (a)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (xi) (a & b)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (xii) (a to f)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (xv) & 4 (xvi)	अनिर्णीत
8	पैरा–5 (i to ii)	अनिर्णीत
9	पैरा–5(iv)	अनिर्णीत
10	पैरा–5(viii)	अनिर्णीत
11	पैरा–5 (ix)	अनिर्णीत
12	पैरा–5 (xviii)	निर्णीत
13	पैरा–5 (xix)	अनिर्णीत
14	पैरा–5 (xxiv)	अनिर्णीत
15	पैरा–6 (iv to vi)	अनिर्णीत
16	पैरा–6 (viii to xiv)	अनिर्णीत
17	पैरा–6 (xvi)	निर्णीत
18	पैरा–6 (xvii to xviii)	अनिर्णीत
19	पैरा–7 (ii) (क)	निर्णीत
20	पैरा–7 (ii) (ख)	अनिर्णीत
21	पैरा–7 (iv)	निर्णीत
22	पैरा–7 (v)	निर्णीत

23	पैरा–7 (vii to viii)	अनिर्णीत
24	पैरा–7 (xi to xviii)	अनिर्णीत
25	पैरा–8 (i & ii)	अनिर्णीत
26	पैरा–8 (iii)	अनिर्णीत
27	पैरा–9	अनिर्णीत
28	पैरा–10	अनिर्णीत

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011

1	पैरा–3	निर्णीत
2	पैरा–4	अनिर्णीत
3	पैरा–5	अनिर्णीत
4	पैरा–6	अनिर्णीत
5	पैरा–7	अनिर्णीत
6	पैरा–8	अनिर्णीत
7	पैरा–9	अनिर्णीत
8	पैरा–10	अनिर्णीत
9	पैरा–11	अनिर्णीत
10	पैरा–12	अनिर्णीत
11	पैरा–13	अनिर्णीत
12	पैरा–14	अनिर्णीत
13	पैरा–15	अनिर्णीत
14	पैरा–16	अनिर्णीत
15	पैरा–17	निर्णीत
16	पैरा–18	अनिर्णीत
17	पैरा–19	निर्णीत
18	पैरा–20	निर्णीत
19	पैरा–21	निर्णीत
20	पैरा–22	निर्णीत
21	पैरा–23	निर्णीत
22	पैरा–24	अनिर्णीत